शैक्षणिक कलेण्डर

वर्ष 2010 – 2011

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / विद्या / ई / 98 / 2010 / 458 भोपाल, दिनांक 13 मई 2010

प्रति,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– शिक्षण सत्र 2010–2011 की शैक्षणिक गतिविधियों का वार्षिक पंचांग।

प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षणिक कलेण्डर जारी किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में आयोजित होने वाली समस्त गतिविधियों हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना है। शैक्षणिक कलेण्डर को और अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से इसमें पाठ्यक्रम के साथ पाठ्य क्रमेत्तर गतिविधियों का समावेश तो किया ही है साथ ही मैदानी अधिकारियों के प्रमुख दायित्वों का उल्लेख भी इसमें कर दिया गया है।

शैक्षणिक कलेण्डर एक मार्गदर्शक के रूप में है। कलेण्डर में वर्णित गतिविधियों के अलावा अन्य अनेक ऐसे क्रियाकलाप हो सकते है जो विद्यार्थी के चहुंमुखी विकास में सहायक हों, ऐसी गतिविधियों का समावेश प्राचार्यगण अपने स्तर पर कर सकते हैं। प्रयास यह किया गया है कि कलेण्डर में छात्र कल्याणकारी योजनाओं का भी समावेश हो जाये।

यह आपको विदित ही है कि भारत सरकार द्वारा – द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एण्ड कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 2009 लागू किया जा चुका है। इस एक्ट के बिन्दु 09 – एम में यह उल्लेख किया गया है कि ''प्रत्येक स्थानीय निकाय अकादमिक कलेण्डर का निर्धारण करेगा।'' अतः कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्थानीय निकाय इस कलेण्डर को आधार बनाकर अथवा स्वतंत्र रूप से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अकादमिक कलेण्डर का निर्माण कर सकते है।

कक्षा 9 से 12 तक की समस्त गतिविधियां कलेण्डर अनुसार निर्धारित समय में सम्पन्न की जायें एवं अध्यापन हेतु निर्धारित इकाईयां समय पर पूर्ण कर ली जायें।

(बी. राजगोपाल नायडू)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक कमांक/विद्या/ई/98/2010/459 भोपाल, दिनांक 13 मई 2010

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा की ओर एकल नस्ती पर प्राप्त अनुमोदन दिनांक 03/05/2010 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ
2. विशेष सहायक, मान. राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण।
6. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश।
7. आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
8. समस्त आयुक्त, राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
9. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश।
10. सचिव मानवाधिकार आयोग मध्यप्रदेश भोपाल।
11. प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम भोपाल।
12. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
13. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
14. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
15. संचालक मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल मध्यप्रदेश।
16. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल।
17. सचिव, मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड भोपाल।
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश।
19. समस्त प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
20. समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मध्यप्रदेश।
21. समस्त जिला परियोजना समन्वयक मध्यप्रदेश।
22. समस्त प्राचार्य, हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी, मध्यप्रदेश।
23. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
24. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड स्रोत समन्वयक मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

आयुक्त
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

शैक्षणिक कलेण्डर वर्ष 2010–2011

सुनियोजित कार्ययोजना का निर्धारण तथा उसका क्रियान्वयन किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु शिक्षण कार्य तथा विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों आदि का सुविचारित तथा समयबद्ध निर्धारण अत्यन्त आवश्यक है। इस दृष्टि से शैक्षणिक कलेण्डर तैयार किया गया है।

1. उद्देश्य ::

- शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को अपने–अपने विद्यालय की विद्यालयवार कार्ययोजना के निर्माण हेतु अभिप्रेरित करना।
- राज्य शासन द्वारा विद्यार्थियों के हितार्थ संचालित योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को समय पर मिले, इसकी रणनीति सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति, पालक शिक्षक संघ की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों में प्रार्थना तथा शाला सभा के दौरान प्रेरक तथा नैतिक शिक्षा प्रदान करना।
- मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसहगामी गतिविधियों के आयोजन में एकरूपता बनाये रखना।
- शाला मूल्यांकन हेतु निर्धारित सूचकांकों के आधार पर शाला का मूल्यांकन कर उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- विद्यार्थियों के चतुर्दिक् विकास से सम्बद्ध समस्त पक्षों के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।
- समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु छात्रों को गुणात्मक एवं सुव्यवस्थित शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
- विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करने एवं उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिये वातावरण निर्माण करना।
- पालक, शिक्षक,प्रशासक एवं विद्यार्थियों को समस्त विद्यालयीन वार्षिक गतिविधियों से अवगत कराना, जिससे वे अपने वैयक्तिक एवं सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु रणनीति तैयार कर सकें तथा विद्यार्थियों को शैक्षिक, व्यावसायिक एवं समाज की मांग के अनुसार सभी क्षेत्रों में दक्ष कर सकें।
- विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़े सभी सम्बद्ध पक्षों यथा– शिक्षकों ,पालकों एवं प्रशासकों को उनसे की गई अपेक्षाओं के अनुरूप उन्हें उचित निर्देश ,सुझाव एवं लक्ष्य उपलब्ध कराना।
- विद्यार्थियों में सृजनात्मक प्रतिभा विकसित करना।
- विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन संबंधी प्रणाली को प्रभावी बनाना।
- प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करना।
- निःशक्त बच्चों में आत्म विश्वास बढ़ाना तथा उनमें अन्तर्निहित प्रतिभा को निखारना।
- राष्ट्रीय पर्वों तथा उत्सवों के आयोजन द्वारा विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता ,अखण्डता, भारतीय संस्कृति एवं देशप्रेम की भावना जागृत करना तथा उन्हें सामाजिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाना।
- संस्था प्रधान एवं शिक्षकों को उनके दायित्वों का बोध कराना।
- संस्थाओं के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की प्रभावी प्रणाली विकसित करना।
- गत वर्षो के सफल शैक्षणिक प्रयोगों को आगामी शैक्षणिक सत्र में भी जारी रखना।
- छात्र–छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सुयोग्य बनाना।
- विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से खेल, एन.सी.सी., एन.एस.एस, स्काउट, रेडक्रास, योग आदि गतिविधियों का समयबद्ध आयोजन करना।
- विद्यालयों में छात्रों की नियमित उपस्थिति हेतु विशेष प्रयास करना।

- विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना।
- प्राचार्यों को अपने स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने हेतु प्रेरित करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।
- विद्यालयों में विद्यार्थियों को कॅरियर संबंधी समुचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।
- बालकों को स्वास्थ्य रक्षण के प्रति जागरुक करना।
- विद्यार्थी ग्रीष्मावकाश का सदुपयोग कर सकें, इस हेतु चित्रकला, क्रियेटिव लेखन, नृत्य–संगीत खेलकूद, अंग्रेजी, गणित आदि के शिविर आयोजित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- छः से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के राज्य द्वारा निर्धारित उपबंधों का पालन सुनिश्चित करना।

2. संस्था प्राचार्य के दायित्व

शाला संचालन में प्राचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राचार्य को शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में अपनी दोहरी भूमिका का निर्वहन करना होता है। प्राचार्य के प्रमुख दायित्व इस प्रकार हैंः–

2.1 विद्यालय की कार्ययोजना शिक्षकों की पूर्ति तथा स्वयं द्वारा अध्यापन :–

2.1.1 गतवर्षानुसार विद्यालयवार कार्ययोजना का निर्माण किया जाये जिसमें विगत परीक्षा परिणाम के आधार पर आगामी वर्ष की कार्ययोजना प्रस्तुत की जाये।

2.1.2 विद्यालयों में विषयमान के अनुसार शिक्षकों की कमी–पूर्ति करने की दृष्टि से आवश्यकता का आकलन एवं विषय शिक्षकों की पूर्ति हेतु योग्य अतिथि शिक्षकों को चिहि्नत करना।

2.1.3 कक्षा 1 से 8 वीं के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति पे (–) पेंशन के आधार पर करना ।

2.1.4 प्राचार्य अपनी संस्था में नियमित कालखण्ड लेकर अध्यापन करेंगे।

2.2 योजनाओं का समयसीमा में क्रियान्वयन :–

- विद्यार्थियों के कल्याण हेतु संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं **यथा–** निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, साइकिल वितरण, मध्याहन भोजन, समस्त छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति, केरियर मार्गदर्शन आदि का क्रियान्वयन नियत समयसीमा में सुनिश्चित किया जाना।
- बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत पात्र बालिकाओं के बैंक में खातों का खोला जाना एवं उसकी प्रविष्टि निर्धारित समयसीमा में एजूकेशन पोर्टल पर करना।
- विज्ञान शिक्षा प्रोत्साहन हेतु इन्स्पायर अवार्ड योजना अन्तर्गत कक्षा 6 से 10 तक के पात्र छात्रों की प्रविष्टि निर्धारित समयसीमा में एजूकेशन पोर्टल पर करना।

2.3 ग्रीष्मावकाश हेतु कार्ययोजना :–

ग्रीष्मावकाश के लिए विशेष कार्ययोजना बनायी जाये जिसमें मुख्य रूप से भवन के रख–रखाव, रंगाई–पुताई, फर्नीचर रिपेयरिंग, भौतिक सत्यापन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि को विशेष प्राथमिकता दी जाये। विद्यार्थियों हेतु ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जाये जिसमें चित्रकला, नृत्य–संगीत, खेलकूद, अंग्रेजी, गणित आदि का विशेष प्रशिक्षण दिया जाये।

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2008/राशिके/08/2407 दिनांक 21.4.08, 1244/725/2008/20–3, दिनांक 20.6.08 तथा 1548/725/08/20–3, दिनांक 22.7.08 में दिये गये निर्देशानुसार राजस्व अभिलेखों में शाला के नाम भूमि का नामांतरण सुनिश्चित किया जाये।

2.4 विभिन्न योजनाओं को विद्यालय के मुख्य स्थान पर चस्पा करना :–

उपर्युक्त बिन्दु 2.2 में वर्णित योजनाओं को विद्यालय के मुख्य पटल पर चस्पा कर ऐसे स्थान पर संस्थापित किया जाये जहाँ सभी अवलोकन कर सकें।

2.5 विद्यालयों हेतु निर्धारित सूचकांकों के आधार पर शालाओं का मूल्यांकन :–

म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र./1756/2009/20–4 भोपाल दिनांक 23.12.2009 द्वारा विद्यालयों की ग्रेडिंग हेतु निर्धारित मापदण्ड निम्न अनुसार हैं :–

स.क्र.	मापदण्ड	निर्धारित अंक
1	विद्यालय की अधोसंरचना (भवन, बाउण्ड्रीवाल, पेयजल, टायलेट, सुरक्षात्मक उपाय)	10 अंक
2	नियमित प्राचार्य पदस्थापना	5 अंक
3	विद्यालय में स्वीकृत पदों के अनुसार कार्यरत स्टाफ	10 अंक
4	विगत 3 वर्षों का 10वीं/12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम	10 अंक
5	विद्यालयीन अभिलेखों का संधारण	5 अंक
6	विद्यालय में उपलब्ध आर्थिक संसाधन	5 अंक
7	कैरियर मार्गदर्शन	5 अंक
8	विद्यालय में सामाजिक सरोकार हेतु जागरूकता	5 अंक
9	विद्यालय में उपलब्ध खेलकूद सुविधाएँ एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन	10 अंक
10	विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं जीवन कौशल का विकास	5 अंक
11	विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास	5 अंक
12	विद्यालय का पर्यावरण (विद्यार्थियों द्वारा वृक्षारोपण एवं सुरुचिपूर्ण वातावरण हेतु किये गये प्रयास)	10 अंक
13	विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण	5 अंक
14	विद्यार्थियों में आपदा प्रबंधन के संबंध में जागरूकता	5 अंक

नोटः–

- 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यालय — ए ग्रेड में
- 71 – 80% — बी ग्रेड में
- 61 – 70% — सी ग्रेड में
- 51 – 60% — डी ग्रेड में
- 50% से कम — ई ग्रेड में

2.6 बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू करवाना –

बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009) 1 अप्रेल 2010 से लागू है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन, शत–प्रतिशत उपस्थिति तथा शत–प्रतिशत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नांकित हैं –

(अ) 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा– अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य पूर्णता सुनिश्चित करना।

(आ) अनामांकित एवं शाला से बाहर बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना

(इ) किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल करने पर प्रतिबंध।

(ई) बच्चों को शारीरिक दण्ड देने एवं मानसिक रूप से प्रताडित करना पूर्णतः प्रतिबंधित ।

(उ) समस्त बच्चों के लिए उनके निर्धारित पड़ोस (Neighbourhood) में शिक्षा की सुविधा 3 वर्ष में उपलब्ध कराने की राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों की बाध्यता।

(ऊ) नियत मापदण्ड के अनुरूप प्रत्येक शाला में अधोसंरचना की व्यवस्था 3 वर्ष में, शिक्षक छात्र अनुपात अनुरूप शिक्षकों की व्यवस्था 6 माह में सुनिश्चित करना।

(ए) अच्छी गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

(ऐ) शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में लगाना प्रतिबंधित (दशकीय जनगणना, चुनाव एवं आपदा राहत को छोड़कर)

(ओ) शाला विकास योजना निर्माण, प्रबंधन, मानीटरिंग का कार्य स्थानीय निकाय के सहयोग से शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाना ।

(औ) निजी स्कूल में भी केपिटेशन फीस एवं प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रतिबंधित।

(अं) गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए अपने पड़ोस के न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदाय करना अनिवार्य होगा। राज्य द्वारा किया जा रहा प्रति छात्र व्यय अथवा गैर अनुदान प्राप्त शाला की वास्तविक फीस जो भी कम हो, के आधार पर राज्य द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(अः) बिना मान्यता के किसी भी स्कूल का संचालन नहीं किया जा सकेगा।

(क) प्रत्येक शाला हेतु न्यूनतम कार्य दिवस एवं शिक्षण के घंटे निर्धारित रहेंगे।

(ख) इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शाला स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई अथवा शिक्षक से अपेक्षित कार्रवाई निम्नानुसार है :-

2.6.1 धारा 3 के अनुसार सभी बच्चों को अनिवार्यतः प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जानी है। अतः शासकीय शालाओं में अब किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अथवा राशि नहीं ली जायेगी, जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो।

2.6.2 धारा 4 के अनुसार चिह्नित शाला से बाहर बच्चों को सर्वप्रथम उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में दर्ज कराया जायेगा तदुपरान्त उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था, आवासीय ब्रिज कोर्स एवं गैर आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से की जायेगी अर्थात कोई भी बच्चा शाला से बाहर नहीं रहेगा।

2.6.3 धारा 5 के अनुसार बच्चों द्वारा शाला छोड़ने पर उन्हें स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (TC) तुरन्त प्रदान करने का दायित्व शाला के प्रधानाध्यापक का होगा। ऐसी शाला जो प्राथमिक स्तर तक की है उनमें कक्षा 5 वीं पास करने वाले बच्चों को अंक सूची के साथ ही स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। अन्य परिस्थितियों में छात्र द्वारा आवेदन करने पर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 7 दिवस की समय सीमा में प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। धारा 5(2) के अनुसार समय सीमा में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रदान न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

2.6.4 धारा 14 (2) के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी किसी भी बच्चे को शाला में प्रवेश से इंकार नहीं किया जायेगा।

2.6.5 धारा 16 के अनुसार किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा तथा न ही शाला से बाहर किया जाएगा जब तक कि बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता।

2.6.6 धारा 17 के अनुसार शाला में बच्चे को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

2.6.7 धारा 24 के अनुसार शाला के शिक्षकों के लिए भी अधिनियम में अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इसकी पूर्ति न करने पर शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। अकादमिक उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :-

(अ) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन।

(आ) समय सीमा में पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना।

(इ) विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा कराना।

(ई) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की क्षमताओं का आकलन करना, और उसके अनुरूप आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पठन-पाठन कराना।

(उ) माता-पिता और संरक्षकों के साथ समय के साथ नियमित बैठकें करना और बालक

की उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता, उसकी प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना।

(ऊ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो चिन्हित किये जाएँ।

2.6.8 धारा 28 के अनुसार कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन अथवा प्राइवेट रूप से पढ़ाने का कार्य नहीं कर सकेगा।

2.6.9 धारा 30(2) के अनुसार प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक लर्निंग रिकार्ड रखना अनिवार्य होगा।

2.6.10 धारा 29(2) के अनुसार शाला में बच्चों को गतिविधि आधारित प्रक्रियाओं एवं बाल केन्द्रित गतिविधियों के माध्यम से पठन–पाठन कराया जायेगा।

2.6.11 अधिनियम की अनुसूची में पठन–पाठन के घन्टे भी निर्धारित हैं–

न्यूनतम कार्य दिवस/शिक्षण के घंटे

(क) न्यूनतम कार्य दिवस – प्राथमिक स्तर– 200 दिवस

(ख) न्यूनतम कार्य दिवस – माध्यमिक स्तर– 200 दिवस

(ग) प्राथमिक स्तर – 800 शैक्षणिक घंटे

(घ) माध्यमिक स्तर – 1000 शैक्षणिक घंटे

(ङ) शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे –45 घंटे (पठन–पाठन तैयारी के घंटे) अर्थात् शिक्षक को शाला में बच्चों के आने के समय से एक घंटे पहले आना एवं बच्चों के जाने के एक घंटे बाद जाना।

2.7 शाला प्रबंधन समिति संबंधी गतिविधियां :–

शासकीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक की शालाओं में इस अधिनियम के तहत अब पालक शिक्षक संघ का स्वरूप परिवर्तित होगा। अब शाला स्तर पर एक शाला प्रबंधन समिति होगी जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि, अभिभावक एवं शिक्षक सम्मिलित होंगे ताकि सामुदायिक सहभागिता को बढावा मिल सके। इस शाला प्रबंधन समिति में 3/4 सदस्य– अभिभावक, 50 प्रतिशत महिलाएं, कमजोर एवं वंचित वर्ग को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। शाला प्रबंधन समिति निम्नानुसार कार्य करेगी :–

(अ) शाला के क्रियाकलाप को मॉनिटर करना।

(आ) शाला विकास योजना ऐसे प्रारूप में तैयार करना जो शासन निर्धारित करे तथा उसकी अनुशंसा करना–शाला विकास योजना में सामान्यतः :–

2.7.1 कक्षावार वार्षिक नामांकन का आकलन

2.7.2 अनुसूची में दर्शित मापदण्डों के अनुसार आगामी 3 वर्षो के लिए शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करना ।

2.7.3 अनुसूची में दर्शित मापदण्डों के अनुसार आगामी 3 वर्ष के लिए अधोसंरचना एवं उपकरणों की आवश्यकता का आकलन करना ।

2.7.4 अगले 3 वर्ष हेतु वार्षिक वित्तीय आवश्यकता, शिक्षक अधोसंरचना, बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण, निःशुल्क पाठयपुस्तक, गणवेश, साइकिल, छात्रवृत्ति, शाला के दायित्वों के निर्वहन हेतु अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता इत्यादि, की गणना सम्मिलित होगी।

(क) शाला को प्राप्त राशि के उपयोग को मॉनिटर करना । शाला विकास योजना के आधार पर ही शाला को अनुदान अथवा राशि प्रदान करना।

(ख) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना।

(ग) शिक्षक एवं छात्रों को विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन सुनिश्चित करना ।

(घ) माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक की उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता, उसकी प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना ।

(ङ) कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करे अथवा प्राइवेट रूप से पढ़ाने के कार्य में स्वयं को संलिप्त नहीं करे, इसे सुनिश्चित करना ।

(च) कोई भी शिक्षक गैर शिक्षकीय कार्य में नहीं लगाया जाये।

(छ) अनुसूची में दिये गये मापदण्डों के अनुसार क्रियान्वयन को मॉनिटर करना ।

(ज) सभी बच्चों का पड़ोस में स्थापित स्कूल में नामांकन, उनकी नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करना ।

(झ) बच्चों की शिक्षा के अधिकार का हनन होने, उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, प्रवेश देने से इंकार करने, शुल्क लेने की स्थिति में स्थानीय निकाय को सूचित करना ।

(ञ) 6 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे बच्चे जो शाला में नहीं है, की आवश्यकताओं की पहचान उसकी पूर्ति हेतु योजना बनाना एवं क्रियान्वित करना ।

(ट) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति तथा उनके उपलब्धि स्तर को निरंतर मानिटर करना ।

(ठ) शाला में मध्यान्ह भोजन को मॉनिटर करना ।

(ड) वार्षिक प्राप्तियों एवं व्यय का ब्यौरा तैयार करना ।

(ढ) माह में एक बार शाला प्रबंधन समिति की बैठक करना ।

2.8 पालक शिक्षक संघ के सहयोग से निम्नानुसार गतिविधियॉ सुनिश्चित करना –

हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों में पालक शिक्षक संघ का गठन लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/विद्या/03/ई/515 दिनांक 25/07/2003 तथा संशोधित नियमावली पत्र क्रमांक/विद्या/ई/35/2007/2160 भोपाल दिनांक 11/09/2007 के संलग्न नियमावली अनुसार किया जाये। इसकी बैठक प्रतिमाह आयोजित की जाए। आवश्यकतानुसार अधिक बैठकों का आयोजन भी किया जा सकता है।

2.8.1 शाला में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि छात्र छात्राओं को पीने के पानी की बोतल साथ न लाना पड़े।

2.8.2 पालक–शिक्षक संघ एवं स्कूल प्रबंधन की संयुक्त भागीदारी से बस्ते के बोझ को कम करने के लिये स्वनिगमित व्यवस्था स्थापित की जाना चाहिये। बैठकों में व्यापक विचार–विमर्श के उपरांत आवश्यक व्यवस्थाएं सत्रारंभ के पूर्व सुनिश्चित की जायें। इसके लिये लॉकर की व्यवस्था, पाठ्य सामग्री, नोटबुक आदि सत्र के हिसाब से निश्चित किया जाना चाहिए।

2.8.3 शाला की समय सारिणी में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सभी पुस्तकें प्रतिदिन शाला में न लानी पडे। यह भी विचार होना चाहिये कि क्लास एवं होमवर्क के लिये पृथक्–पृथक् नोटबुक तैयार किया जाना आवश्यक है अथवा नहीं, और किस दिन कौनसी नोटबुक लानी चाहिये।

2.8.4 म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 362/2005/20–1 दि. 10.02.2005 द्वारा प्रदेश की समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के वातावरण को व्यवधानमुक्त बनाने के लिये विद्यालय प्रांगण में मोबाइल लाना प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक/विद्या/ई/2005/80 दिनांक 14.02.2005 द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन समस्त शिक्षण संस्थाओं में सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

2.8.5 बच्चों को शारीरिक दण्ड न देने के संबंध में शिक्षकों को सचेत करना चाहिए और पालक–शिक्षक संघ को भी इस संबंध में जागरूक रहना चाहिये कि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए।

2.8.6 अग्नि दुर्घटना हेतु बनाये गये नगरीय कल्याण विभाग के नियमों का पालन शाला भवन के निर्माण हेतु सुनिश्चित हो।

2.8.7 विद्यालयीन छात्रों को स्कूल ले जाने वाले एवं घर पहुंचाने वाले प्रत्येक वाहनों को सूचीबद्ध कर उनसे अनुबंध करते समय अनिवार्यरूप से घरेलू एल.पी.जी. गैस से वाहन संचालित न करने की शर्त रखी जानी चाहिये। स्कूल द्वारा संचालित किये जाने वाले वाहनों के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के **पत्र क्रमांक विद्या/पी/06/15/300 भोपाल दिनांक** 16.3.2006 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2.8.8 जिले के सभी स्कूलों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निर्धारित डिजाइन ले–आउट आधारित टायलेट/यूरिनल की व्यवस्था छात्र एवं छात्राओं के लिये पृथक–पृथक आवश्यक रूप से की जानी चाहिये।

2.8.9 निःशक्त बच्चों के लिये विद्यालयों में रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये। विकासखण्ड स्तर पर CWSN हेतु मूल्यांकन एवं उपकरण वितरण शिविर लगाए जायें।

2.8.10 प्रत्येक माह संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित तिथि को संस्था के सभी शिक्षकगण पालकों से सम्पर्क करेंगे। इस दिन शिक्षक पालकों के घर जायेंगे और अगले दिन संस्था प्रधान को प्रतिवेदन देंगे।

2.8.11 मासिक, तिमाही तथा छमाही परीक्षा परिणामों की समीक्षा तथा उसके आधार पर दिये जाने वाले अधिभार के आधार पर समीक्षा करके कमजोर छात्रों के लिए निदानात्मक कक्षाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

2.8.12 शिक्षण सत्र के प्रारम्भ में ही शाला की रंगाई, पुताई एवं टूट–फूट को ठीक करा लिया जाये।

2.8.13 ऐसे विद्यालय जहाँ भृत्य नहीं है, वहाँ पर शाला में साफ–सफाई हेतु विद्यालय की आकस्मिक निधि अथवा **शाला शिक्षा कोष** से इस हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

2.8.14 शाला में शिक्षण कार्य के अलावा अनेक योजनाएँ तथा गतिविधियां संचालित होती हैं। प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/वरिष्ठ शिक्षक का यह दायित्व है कि वह इन गतिविधियों की प्रतिमाह समीक्षा करे तथा आगामी माह के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये।

2.8.15 प्रमुख गतिविधियां तथा उनकी समीक्षा की समयसारिणी निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	बिन्दु	समयचक्र
1.	शाला में प्रवेश एवं ठहराव (रिटेंशन) संबंधी समीक्षा	अप्रैल से अगस्त
2.	स्कूल चलें हम	अप्रेल, जून
3.	शाला मूल्यांकन हेतु निर्धारित सूचकांकों के आधार पर शाला की स्थिति ज्ञात कर आवश्यक सुधार करना	प्रतिमाह
4.	शाला प्रबंधन समिति/पालक शिक्षक संघ का गठन	अप्रैल, जुलाई
5.	स्कूलों में मासिक परीक्षा के मूल्यांकन की स्थिति की समीक्षा	प्रतिमाह
6.	तिमाही/छमाही मूल्यांकन के आधार पर अधिभार की समीक्षा	सितम्बर एवं दिसम्बर
7.	स्कूलों में निदानात्मक कक्षाओं के आयोजन की समीक्षा	सितम्बर से निरन्तर
8.	अधिक नामांकन वाले विद्यालयों की सतत मानीटरिंग	प्रतिमाह
9.	अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन एवं व्यवस्था	अप्रैल से निरन्तर
10.	विद्यालयों के विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति की समीक्षा	प्रतिमाह
11.	विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा	मई–जून
12.	शिक्षकों के प्रशिक्षण की समीक्षा	मई से जनवरी
13.	छात्र कल्याणकारी योजनाओं – निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, साइकिल, गणवेश, छात्रवृत्ति, बालिका प्रोत्साहन, इन्स्पायर अवार्ड योजना, सेवानिवृत शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग, केरियर मार्गदर्शन, एक स्कूल अपनाओ, जेनिसिस योजना, ब्राजील में अर्न्तराष्ट्रीय बाल एवं युवा सम्मेलन, विज्ञान मंथन, सेना में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण आदि के समयबद्ध क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा	अप्रैल से निरंतर प्रतिसप्ताह
14.	अकादमिक कलेण्डर के अनुसार गतिविधियों के आयोजन की समीक्षा	प्रतिमाह
15.	विद्यालयों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिये प्रयास की समीक्षा	सतत
16.	संकुल अंतर्गत स्कूलों का अकादमिक निरीक्षण	प्रतिमाह
17.	संकुल अंतर्गत स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण,	प्रतिमाह
18.	विभिन्न उत्सवों, यथा– मोगली उत्सव, बाल दिवस, बालरंग, बालफिल्म, साहित्यिक, सांस्कृतिक, विज्ञान, संस्कृत, कालिदास समारोह, मदरसा	प्रतिमाह

	प्रतियोगिताए, निःशक्त बच्चों की तथा योग, खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं की समीक्षा	
19.	विभिन्न विद्यालयों के लेखों का विशेष परीक्षण एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन	अप्रेल, मई, जून
20.	विद्यार्थियों का नेत्र परीक्षण/स्वास्थ्य परीक्षण	प्रतिमाह
21.	कॅरियर मार्गदर्शन	प्रतिमाह–द्वितीय शनिवार
22.	संकुल अंतर्गत शाला की भूमि शाला के नाम नामांतरण की समीक्षा	प्रतिमाह
23.	दक्षता संवर्धन	प्रतिमाह
24.	जल संवर्धन (रेन वाटर हारवेस्टिंग)	मई से जुलाई
25.	पौधारोपण	जुलाई–अगस्त
26	एजूकेशन पोर्टल का अवलोकन एवं प्रविष्टियों का अद्यतनीकरण	प्रतिदिन

2.9 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरणः–

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना लागू की गई है। इसके अन्तर्गत –

2.9.1 ऐसी बालिकायें, जिनके गांव में माध्यमिक शाला नहीं है और वे कक्षा छठी में दूसरे गांव में स्थित माध्यमिक शाला में प्रवेश लेती हैं तो उन्हें निः शुल्क साइकिल प्रदाय की जायेगी।

2.9.2 ऐसी बालिकायें जिनके गांव में हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी नहीं है और वे कक्षा नवमीं में दूसरे गांव में स्थित हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी में प्रवेश लेती हैं तो उन्हें निः शुल्क साइकिल प्रदाय की जायेगी।

2.9.3 ऐसी बालिकायें जिनके गांव में हायर सेकेण्डरी नहीं है और वे कक्षा 11वीं/12वीं में दूसरे गांव में स्थित हायर सेकेण्डरी में प्रवेश लेती हैं तो उन्हें निः शुल्क साइकिल प्रदाय की जायेगी। बशर्ते उस बालिका को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में साइकिल प्रदाय नहीं की गई हो। अर्थात् कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययन करने वाली छात्रा को केवल एक बार ही साइकिल प्रदाय की जायेगी।

2.10 स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से स्वच्छ पेयजल, फर्नीचर, की व्यवस्था :–

शिक्षण संस्थाओं तथा जिला स्तर से यह प्रयास किये जाये कि रोटरी क्लब आदि स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करके स्कूलों में स्वच्छ पेयजल, फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इस हेतु स्थानीय निधि से 25 प्रतिशत राशि देकर शेष राशि संगठनों द्वारा वहन करने हेतु प्रेरित किया जाये।

2.11 शौचालय की व्यवस्था :–

विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था की जाये। यह भी देखा जाये कि जो शौचालय बने हैं उनमें साफ–सफाई/वाटर सप्लाई हो रही है अथवा नहीं। आवश्यक होने पर सफाई हेतु व्यक्ति को रखा जा सकता है। यदि किन्हीं शौचालयों की साफ–सफाई नहीं हो रही है तो शौचालय न होना ज्यादा अच्छा है, अस्वच्छ शौचालय बीमारी फैलाता है।

3. जिला शिक्षा अधिकारी के दायित्वः–

3.1 शासन, लोक शिक्षण संचालनालय, राज्य शिक्षा केन्द्र, संभागीय संयुक्त संचालक आदि वरिष्ठ कार्यालय स्तर से जारी विभागीय दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।

3.2 जिले के समस्त प्राचार्यों द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों की मासिक समीक्षा (प्रत्येक माह का **द्वितीय सप्ताह)**।

3.3 जिले के समस्त शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उपबंधों का पालन सुनिश्चित कराना।

3.4 जिले के समस्त शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में शैक्षिक, अकादमिक एवं अन्य क्रिया कलाप में समन्वय की दृष्टि से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाये ताकि वे आपसी अनुभव का आदान–प्रदान कर एक दूसरे के नवाचारों से परिचित हो सकें। **(वर्ष में दो बार)**

3.5 एक स्कूल अपनाओ अभियान अन्तर्गत जिले के प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय अधिकारियों द्वारा एक–एक शासकीय स्कूल को गोद लिया जाये।

3.6 जिला शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी निरीक्षण के दौरान किसी एक विद्यालय में एक कालखण्ड का अध्यापन अनिवार्यतः करेंगे।

3.7 परीक्षाफल उन्नयन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग से समन्वय रखा जाए।

4. संभागीय संयुक्त संचालक के दायित्व :–

4.1 शासन, लोक शिक्षण संचालनालय, राज्य शिक्षा केन्द्र आदि वरिष्ठ कार्यालय स्तर से जारी विभागीय दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।

4.2 संभागान्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला परियोजना समन्वयक एवम् संभागीय डिपो प्रबन्धक आदि द्वारा किये जाने वाले नियमित कार्यों की मासिक समीक्षा (प्रत्येक माह के **तृतीय सप्ताह)**

4.3 संभागान्तर्गत जिले के संकुल प्राचार्यो, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्रोत समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले नियमित कार्यों की समीक्षा **(प्रत्येक माह न्यूनतम एक जिला)**

4.4 संभागान्तर्गत समस्त शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उपबंधों का पालन सुनिश्चित कराना।

4.5 संयुक्त संचालक निरीक्षण के दौरान किसी एक विद्यालय में एक कालखण्ड का अध्यापन अनिवार्यतः: करेंगे।

5. अकादमिक तथा आकस्मिक निरीक्षण

समस्त प्राचार्य अपने संकुल अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं का, जिला परियोजना समन्वयक तथा विकास खण्ड स्रोत समन्वयक, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्देशित संस्थाओं का तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थ संस्थाओं का प्रत्येक माह तालिका में अंकित संख्या अनुसार अकादमिक तथा आकस्मिक निरीक्षण करेंगेः–

अधिकारी	निरीक्षण की जाने वाली संस्थाओं की संख्या						रात्रि विश्राम हेतु निर्धारित दिवस
	प्राथमिक	मिडिल	हाईस्कूल		हायरसेकेण्ड्री		
			आकस्मिक	अकादमिक	आकस्मिक	अकादमिक	
संयुक्त संचालक	**25**	**20**	**10**	**5**	**5**	**3**	**3**
जिला शिक्षा अधिकारी	**10**	**6**	**5**	**3**	**3**	**2**	**2**
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	**40**	**20**	**2**				
संकुल प्राचार्य	**5**	**2**	**1**	**1**			
संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी निरीक्षण के दौरान किसी एक विद्यालय में एक कालखण्ड का अध्यापन अनिवार्यतः करेंगे।			संकुल प्राचार्य अपनी शाला की न्यूनतम दो कक्षाओं का प्रतिदिन आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। संकुल अन्तर्गत निरीक्षण के दौरान किसी एक विद्यालय में एक कालखण्ड का अध्यापन अनिवार्यतः करेंगें।				

6. विद्यालय समयः–

(अ) समस्त शासकीय संस्थाएँ अनिवार्यतः एक पारी में ही संचालित की जायें। जिला शिक्षा अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानाभाव के कारण दो पारी में विद्यालय संचालित किये जा सकेंगे। कोई भी विद्यालय शिक्षकों की कमी के कारण दो पारी में नहीं लगाया जायेगा।

(आ) पालक शिक्षक संघ को यह भी अधिकार होगा कि जिला पंचायत के पूर्वानुमोदन से रविवार के स्थान पर साप्ताहिक हाट के दिन विद्यालय का अवकाश रख सकेंगे। ऐसी स्थिति में रविवार के दिन शाला लगेगी और यदि हाट वाले दिन अवकाश नहीं रखते हैं तो उस दिन पूरे समय शाला लगेगी।

पारी व्यवस्था निम्नानुसार की जा सकेगी :–

6.1. (अ) एक पारी विद्यालय – 7.30 घन्टे – शिक्षक समय – 9.30 से 5.00
विद्यार्थी समय – 10.30 से 4.30

(ब) दो पारी विद्यालय – 7.30 घन्टे – 1. शिक्षक समय – 6.30 से 2.00
विद्यार्थी समय – 7.00 से 12.00
2. शिक्षक समय – 10.30 से 6.00
विद्यार्थी समय –12.15 से 5.15

6.2 स्थानीय परिवेश एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पालक शिक्षक संघ विद्यालय प्रारंभ करने का समय निर्धारित कर सकेंगे किन्तु विद्यालय की निर्धारित अवधि किसी भी पारी में कम नहीं की जा सकेगी। **यथा–** एक पारी का विद्यालय 7.30 घन्टे से कम नहीं होगा।

6.3 दो पारियों में विद्यालय लगाने की अनुमति जिला शिक्षा अधिकारी से लेनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी सिर्फ भवन के अभाव में ही दो पारियों में विद्यालय लगाने की अनुमति दे सकेंगे। दी गई अनुमति की जानकारी जिला परियोजना समन्वयक, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक को देना अनिवार्य होगा। दो पारियों में विद्यालय लगने की स्थिति में मध्यावकाश के समय में कटौती की जाकर शैक्षिक कालखण्डों का समय अनिवार्यतः 40 मिनट रखा जाये। मध्यावकाश 30 मिनट का रहेगा। प्रत्येक कालखण्ड न्यूनतम 40 मिनट का रहेगा। इस हेतु मध्यावकाश में से समय समायोजित किया जा सकता है।

6.4 दो पारी वाले विद्यालय में संस्था प्रधान तथा शिक्षकों को 7.30 घन्टे रहना अनिवार्य होगा।

6.5 संस्था प्रमुख विद्यालय में कम से कम दो कालखण्ड तथा अन्य सदस्य कम से कम पाँच कालखण्ड पठन–पाठन सामग्री की तैयारी एवं मूल्यांकन हेतु अनिवार्यतः लेंगे तथा दो काल खण्ड का पाठयक्रम एवं पठन–पाठन की सामग्री की तैयारी तथा मूल्यांकन कार्य भी समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

6.6 व्याख्याताओं द्वारा कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अनिवार्यतः अध्यापन कार्य किया जाये।

6.7 प्रत्येक विद्यालय में खेल एवं योग का कालखण्ड चक्रीय क्रम में रखा जाए। खेल तथा योग का कालखण्ड 40 मिनट का होगा। इसमें 10 मिनट में योग तथा 30 मिनट में खेल गतिविधियाँ संचालित की जा सकेंगी। यह कालखण्ड चक्रानुक्रम में प्रथम से लेकर चतुर्थ कालखण्ड के बीच में रहेगा।

6.8 समय विभाग चक्र में सत्रारंभ से ही प्रति सप्ताह न्यूनतम तीन कालखण्ड निदानात्मक कक्षाओं हेतु रखे जायें।

6.9 मध्यावकाश के दौरान विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं व्यवहार पर शिक्षकों का नियंत्रण सुनिश्चित किया जाये।

7. सूर्य नमस्कार तथा प्राणायाम :–

प्रति सप्ताह अंतिम कार्यदिवस के प्रथम कालखण्ड में सभी विद्यार्थियों से सूर्य नमस्कार/प्राणायाम करवाया जाये। माह के अंतिम शनिवार/कार्य दिवस को सामूहिक सूर्य नमस्कार/ प्राणायाम किया जाये। इसमें छात्र–छात्राओं का सम्मिलित होना स्वैच्छिक रहेगा।

8. शाला सभा :–

विद्यालय में शाला सभा हेतु 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है जिसमें से 15 मिनिट प्रारंभ एवं 5 मिनिट शाला समाप्ति के समय निर्धारित हैं। जिसमें राष्ट्रगान–जनगणमन, राष्ट्रगीत–वन्देमातरम, प्रार्थना, श्लोक पाठ, सूक्ति वाचन, अनमोल वचन, प्रेरक प्रसंग, देश भक्ति गीत, ध्यान/मौन आदि आयोजित किये जायें। राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान के समय शाला परिसर में उपस्थित सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

शाला सभा के दौरान प्रेरणा गीत, देशभक्ति गीत, सर्वधर्म प्रार्थना तथा त्याग एवं समर्पण पर आधारित गीत इत्यादि का गायन कराया जाना चाहिये। इसके अंतर्गत बालसभा का आयोजन भी किया जाये जिसमें विद्यार्थियों भारतीय महापुरूषों, साहित्यकारों, क्रान्तिकारियों भारतीय वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, खिलाड़ियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का ज्ञान दिया जाये। न्याय पालिका, कार्यपालिका, स्थानीय निकाय, पत्रकारिता, भारतीय संस्कृति, संस्कार, समाज एवं परम्पराएं आदि की जानकारी दी जाये।

9. हाईस्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना :–

प्रत्येक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा हाईस्कूलों में कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना की जाये। इस हेतु अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से रुपये 1/– प्रतिमाह की दर से रोजगार एवं शिक्षा समन्वय शुल्क एकत्रित किया जाये। यह राशि संबंधित विद्यालय द्वारा एकत्र कर अपने पास रखी

जायेगी एवं इस राशि से इस योजना पर होने वाले व्यय का भुगतान किया जा सकेगा। इसके अन्तर्गत समाचारपत्र, पत्रिकाएँ तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें क्रय की जा सकेंगी।

यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को एक कालखण्ड में विद्यालयों में कॅरियर मार्गदर्शन संबंधी गतिविधियां सुनिश्चित की जायें। कॅरियर मार्गदर्शन का कार्य प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक/व्याख्याता द्वारा ही किया जाये।

10. मूल्यांकन/बच्चों के उपलब्धि स्तर का आकलन :–

10.1 शैक्षणिक कलेण्डर में वर्णित निर्धारित तिथियों में ही मासिक, तिमाही, अर्द्ध–वार्षिक परीक्षा एवं प्री–बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन किया जाए तथा विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों से पालक शिक्षक संघ को अवगत कराया जाये। तिमाही तथा अर्ध वार्षिक परीक्षा के तत्काल बाद इन परीक्षाओं हेतु निर्धारित अधिभार अंकसूची/प्रगति पत्रक में दर्ज कर दिया जाये। वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षा परिणामों की घोषणा इत्यादि का पालन भी विभागीय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश के दिशा–निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए।

10.2 शैक्षणिक कलेण्डर में वर्णित निर्धारित तिथियों में बच्चों के उपलब्धि स्तर का आकलन किया जायेगा। आकलन के आधार पर बच्चों में उपलब्धि स्तर की जानकारी से शाला प्रबंधन समिति को अवगत कराया जायेगा।

10.3 प्रत्येक छात्र की मूल्यांकन/नोटबुक प्रगति पुस्तिका संधारित की जायेगी। इसके अन्तर्गत छात्र के मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं अन्य परीक्षाओं का मूल्यांकन अंकित कर सात दिवस में उनके पालकों को अवगत कराया जायेगा।

10.4 प्रत्येक छात्र की मूल्यांकन प्रगति पुस्तिका संधारित की जायेगी। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के मासिक आकलन के आधार पर उपलब्धि स्तर का आकलन किया जाएगा जो शाला प्रबंधन समिति को अवगत कराया जायेगा।

10.5 बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु प्री–बोर्ड परीक्षाएं अनिवार्यतः ली जाएं।

10.6 किसी भी बच्चे को कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं किया जायेगा अर्थात् बच्चों को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जायेगा । ऐसे बच्चे जो कमजोर श्रेणी के होंगे अर्थात् जिनका उपलब्धि स्तर कक्षा की दक्षताओं के अनुरूप नहीं होगा, के लिए शिक्षक द्वारा उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा कक्षा की दक्षताओं के अनुरूप बच्चे को तैयार किया जायेगा ।

10.7 कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाएँ बोर्ड पेटर्न पर आयोजित की जायेंगी। इस हेतु विद्यार्थियों को समय–समय पर सचेत किया जाये। इसकी तिमाही, छःमाही परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकायें विद्यार्थियों को अवश्य अवलोकन करायी जायें।

10.8 तिमाही, छःमाही की अधिभार प्रक्रिया से भी छात्रों को अवगत कराया जाये। इसके अतिरिक्त तिमाही तथा छःमाही परीक्षा में ई ग्रेड लाने वाले छात्रों की पुनर्परीक्षा आयोजित की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि पुनर्परीक्षा में भी अपेक्षित परिणाम न लाने पर ऐसे विद्यार्थियों के लिये विशेष निदानात्मक कक्षाओं की व्यवस्था की जाये तथा विद्यार्थी के उत्तीर्ण होने तक पुनर्परीक्षा का निरन्तरता में आयोजन सुनिश्चित किया जाये।

11. उत्सव एवं विशेष दिवसों का आयोजन :–

11.1. राष्ट्रीय पर्व, त्यौहारों एवं विभिन्न समारोह के उत्साहपूर्वक आयोजन हेतु शाला प्रबन्धन समिति/पालक शिक्षक संघ की बैठक में पूर्व से कार्ययोजना बना ली जाए।

11.2. उत्सव/विशेष दिवस के दिन अन्य दिनों की तरह पूरे कालखण्ड में शिक्षण कार्य हो तथा प्रत्येक कालखण्ड में से 5–5 मिनट का समय घटाकर शेष समय में निर्धारित दिनांक को ही मनाया जाये। उत्सव/विशेष दिवस के दिन रविवार/स्वीकृत अवकाश हो तो उसे एक दिन पहले/बाद में अवश्य मनाया जाये। ऐसे आयोजन अन्तिम कालखण्ड में ही किये जायें।

11.3 राष्ट्रीय पर्व को विद्यालयों में संस्था प्रधान, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों की उपस्थिति में अनिवार्यतः मनाया जाए।

11.4 प्रत्येक गतिविधि का अभिलेखीकरण संस्थाओं में अनिवार्यतः किया जाये।

12. पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ :–

12.1. **वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम दिसम्बर माह में अंतिम कार्यदिवस तक सम्पन्न कर लिया जाये।** यह आयोजन अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिये।

वार्षिक उत्सव के साथ ही विदाई समारोह का आयोजन किया जाये। यह आयोजन पृथक से नहीं किया जायेगा।

12.2. विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित करने के उद्देश्य से साहित्यिक/सांस्कृतिक/बालरंग मंडल/खेलकूद/योग आदि गतिविधियों में प्रत्येक विद्यार्थी को सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

12.3. एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड/रेडक्रॉस,/ईको क्लब (एन.जी.सी.), साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, इत्यादि गतिविधियाँ संबंधित मुख्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार संचालित की जाएं यथासंभव इनका आयोजन माह के प्रत्येक शनिवार को अंतिम कालखण्ड में किया जाये। प्रमुख गतिविधियॉ परिशिष्ट पर संलग्न है।

12.4. प्रदेश के हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विज्ञान संबंधी गतिविधियों को संचालित करने की दृष्टि से विज्ञान क्लब गठित किया जाये।

13. शिक्षक एवं बालकों को प्रोत्साहन/पुरस्कार :–

शिक्षा के लोकव्यापीकरण के अन्तर्गत उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षकों एवं बालकों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत करने की योजना निम्नानुसार हैः–

13.1 विद्यार्थी सम्मान ::

जिला स्तर पर कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणामों के आधार पर तैयार की जाने वाली प्रावीण्य सूची में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाये।

13.2 बालश्री पुरस्कार ::

प्रत्येक जिले के 5 वीं एवं 8 वी परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले उत्कृष्ट एवं मेधावी छात्र–छात्राओं में से प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट एक–एक छात्र एवं छात्रा को राज्यस्तरीय बालदिवस समारोह में बालश्री सम्मान से सम्मानित किया जायेगा।

13.3 प्रतिभा सम्मान ::

कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की बोर्ड परीक्षा की प्रावीण्य सूची में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्यस्तरीय बालदिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

13.4 मेधावी विद्यार्थियों तथा उनके पालकों का विशेष सम्मान ::

अति–प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं **यथा**–आई.आई.टी., ए.आई.ई.ई.ई., सी.पी.एम.टी., एन.डी.ए., पी.एम.टी., पी.ई.टी., पी.ए.टी. इत्यादि में चयनित होने वाले विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को भी शालास्तर पर पालक–शिक्षक–संघ द्वारा विशेष आयोजन कर सम्मानित/पुरस्कृत किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों एवं पालकों को भी आमंत्रित किया जाए।

13.5 राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान ::

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्कूल शिक्षकों को प्रतिवर्ष 5 सितम्बर शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाता है। राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान के अंतर्गत /–रुपये 25000/– नकद, शाल, श्रीफल देकर सम्मानित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर पिछले वर्ष महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाता है।

13.6 **राष्ट्रपति पुरस्कार ::**

प्रदेश के उत्कृष्ट एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसके अन्तर्गत शिक्षकों को चांदी का पदक व रुपये 25,000/– नकद, शाल, श्रीफल से सम्मानित किया जाता है।

13.7. **शैक्षिक अभ्युत्थान कार्यशाला तथा सम्मान :–**

श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों हेतु जून से अक्टूबर माह के मध्य में शैक्षिक कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा जिसमें उन्हें चयनित स्थलों का भ्रमण भी कराया जायेगा। **शतप्रतिशत परीक्षाफल वाली संस्था के प्राचार्यों को माननीय मुख्यमंत्री/शिक्षामंत्री द्वारा सम्मानित किया जायेगा।** श्रेष्ठ परीक्षाफल वाले प्राचार्यों को संभागीय मुख्यालय पर आयोजित समारोह में सम्मानित किया जायेगा।

13.8 **गणित तथा संस्कृत विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर पुरस्कार :–**

हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2010 में गणित विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को श्री गोविंद दामोदर धामणकर स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र तथा हाईस्कूल परीक्षा में वर्ष 2010 में संस्कृत विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को श्री रघुनाथ गणेश खानवलकर स्मृति स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र बालदिवस/बालरंग कार्यक्रम में प्रदान किया जायेगा।

13.9 प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थियों को कम्प्यूटर हेतु रुपये 25000/– की राशि :–

माध्यमिक शिक्षा मण्डल से सम्बद्ध शासकीय संस्थाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 12वीं में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये है उन्हें कम्प्यूटर हेतु रुपये 25000/– की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

13.10 **विभिन्न छात्रवृत्तियों का प्रदाय :–**

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों तथा केन्द्र शासन द्वारा सभी संवर्ग के विद्यार्थियों के लिये विभिन्न छात्रवृत्तियाँ प्रदाय की जाती हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट–एक** में दिया गया है। इन छात्रवृत्तियों से सभी को लाभान्वित किया जाये।

13.11 स्वामी विवेकानन्द राज्यस्तरीय योग पुरस्कार :–

योग के क्षेत्र में सृजनात्मक, उत्कृष्ट एवं विशिष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं को रुपये एक लाख का पुरस्कार दिया जायेगा।

13.12 **आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित छात्र कल्याणकारी योजनाएँ :–**

आदिवासी विकास विभाग द्वारा छात्रों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएँ संचालित हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट–दो** पर दिया गया है। इन योजनाओं से समस्त हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाये।

14 शिक्षकों का गैर–शैक्षणिक कार्यों में अभिनियोजन :–

माननीय उच्चतम न्यायालय ने Civil Appeal No. 5659 of 2007 Election Commission of India V/S Mary`s School and Others में शिक्षा के मौलिक अधिकार और निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों की निर्वाचन से संबंधित कार्यों में ड्यूटी न लगाने संबंधी निर्देश दिये हैं तथा जनशिक्षा अधिनियम अध्याय–दो (10) के अनुसार राज्य सरकार के स्कूली शिक्षकों को शैक्षणिक एवं अन्य ऐसे कार्यो के लिये अभिनियोजित किया जायेगा जो स्कूल के शैक्षणिक कृत्यकारी के प्रबंध के भाग हो, राज्य सरकार के विशिष्ट आदेश पर ही उन्हें गैर शैक्षणिक कार्य के लिये अभिनियोजित किया जा सकेगा। बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–27 के अनुसार किसी भी शिक्षक को जनगणना, चुनाव एवं आपदा राहत को छोड़कर किसी भी गैर शिक्षकीय कार्य में नहीं लगाया जायेगा। यदि किसी कार्यालय अथवा संकुल/विद्यालय में किसी शिक्षक का लिखित या अलिखित रूप से आसंजन किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक को दी जाये।

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक /62/प्र.स./स्कूल शिक्षा/10 भोपाल, दिनांक 13 अप्रेल, 2010 द्वारा जनगणना कार्य में शिक्षकों की डयूटी लगाई जाने हेतु, इस प्रकार से सूची जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराई जाए जिससे कोई विद्यालय शिक्षक विहीन न हो पाये तथा किसी भी विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो।

15. अवकाश :–

15.1 प्रारंभिक शिक्षा के लिए लागू जनशिक्षा अधिनियम अध्याय–2(7) के अनुसार स्थानीय अवकाश/शाला प्रबन्धन समिति पालक शिक्षक संघ द्वारा विहित किये जाएँ।

15.2 **सत्र 2010–2011 में विद्यालयों के लिये घोषित अवकाश निम्नानुसार रहेंगे :–**

1. **ग्रीष्म कालीन अवकाश–** (पचमढ़ी सहित संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए) दिनांक 01 मई 2010 से 23 जून 2010 तक (54 दिवस शिक्षकों के लिए) दिनांक 01 मई 2010 से 30 जून 2010 तक (61 दिवस विद्यार्थियों के लिए)
2. **सर्व पितृमोक्ष अमावस्या–** दिनांक 07 अक्टूबर 2010
3. **दशहरा अवकाश –** दिनांक 15 अक्टूबर 2010 से 18 अक्टूबर 2010 (04 दिवस)
4. **दीपावली अवकाश–** दिनांक 03 नवम्बर 2010 से 06 नवम्बर 2010 (04 दिवस)

3. **शीतकालीन अवकाश–** दिनांक 25 दिसम्बर 2010 से 27 दिसम्बर 2010 (03 दिवस)

15.3 अन्य अवकाश जो किसी विशेष परिस्थितियों में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा घोषित किये जायेंगे वह भी विद्यालयों में मान्य होंगे।

15.4 यदि किसी कारणवश राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक/स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो वह भी विद्यालय में मान्य होगा।

15.5 शैक्षणिक स्टॉफ एवं छात्र–छात्राओं के लिये घोषित दशहरा, दीपावली अवकाश, शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाशों का उपभोग विद्यालय के प्राचार्य एवं कार्यालयीन कर्मचारी नहीं करेंगे।

16. प्रशिक्षण :–

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु वर्षभर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाएगा। प्रमुख प्रशिक्षण इस प्रकार हैं :–

16.1. म.प्र.प्रशासन अकादमी के सहयोग से सत्र 2010–2011 में म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, डाईट प्राचार्य, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा प्राचार्य संवर्ग को दूरवर्ती प्रशिक्षण के माध्यम से माह अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 तक प्रशिक्षित किये जाने की योजना है। प्रशिक्षण सैटकाम के माध्यम से दिया जाएगा जिसमें स्थापना, स्कूल प्रबंधन, वित्तीय मामले, नवीन नियमों, उप नियमों तथा शासन की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं एवं अकादमिक योजनाओं से परिचित कराया जायेगा।

16.2. हाईस्कूल तथा हायरसेकेण्डरी स्तर के शिक्षकों, व्याख्याताओं को विज्ञान, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

16.3. प्रत्येक जिले में हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलो में सतत प्रशिक्षकीय मार्गदर्शन हेतु प्रत्येक विषय के चार–चार मुख्य स्त्रोत प्रशिक्षक (सी.आर.डी.) चिन्हित कराकर प्रशिक्षित किये जायेंगे।

16.4. सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र नई दिल्ली द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक के सेवाकालीन व्याख्याताओं/शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। इन प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से संस्कृति को जोड़ना है। प्रशिक्षणों के माध्यम से सहभागी शिक्षक शिक्षण कार्यो में संस्कृति पर आधारित तकनीकों एवं पद्धतियों का उपयोग कर सकेंगे तथा ''विद्यार्थियों में संस्कृति का प्रसार'' हेतु अध्ययन–अध्यापन सामग्री का विकास कर सकेंगे। इन प्रशिक्षणों के अंतर्गत अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षा में पुतली कला की भूमिका, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के

संरक्षण में स्कूलों की भूमिका तथा समाजोपयोगी उत्पादन कार्य/कार्यानुभव शामिल हैं।

16.5. डाईट के प्राचार्यो का **कम्प्यूटर कौशल एवं शिक्षा प्रबंधन** पर प्रशिक्षण दिनांक 5 अप्रेल से 15 मई 2010 तक आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी (सीमेट) भोपाल में किया जायेगा। अन्य प्राचार्यो का प्रशिक्षण बाद में किया जायेगा।

16.6 सेना में सेवा कार्य के लिए इच्छुक छात्रों के लिये भर्ती पूर्व प्रशिक्षण–

सेना में कार्य करने के इच्छुक छात्रों की भर्ती हेतु आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में जिलों से छात्रों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार आमंत्रित किया जाकर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

17. विशिष्ट आयोजन/प्रतियोगिताएँ :–

विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित करने में साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक प्रतियोगिताएं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होती हैं एतदर्थ विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली गतिविधियों/प्रतियोगिताओं का विवरण इस प्रकार है :–

17.1 बालरंग ::

स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल (भारत सरकार) के संयुक्त तत्त्वावधान में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल नगर में प्रतिवर्ष बालरंग समारोह का आयोजन किया जाता है। बालरंग समारोह का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान देना, पारम्परिक जीवन शैली एवं सांस्कृतिक मूल्यों से परिचय कराना तथा विभिन्न अंचलों, राज्यों एवं देशों के बच्चों को एक मंच पर लाकर उनमें विश्वबन्धुत्व, मानवीय मूल्य और भाईचारे की भावना का विकास करना है। इसके अन्तर्गत राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय लोकनृत्य प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। प्रथम राष्ट्रीय लोकनृत्य प्रतियोगिता में संपूर्ण देश के 14 राज्यों ने, द्वितीय में 16 राज्यों ने, तृतीय में 19 राज्यों ने, चतुर्थ एवं पंचम राष्ट्रीय लोकनृत्य प्रतियोगिता में 14–14 राज्यों ने सहभागिता की थी। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त दल को एक ट्राफी तथा रुपये 15000/– नगद, द्वितीय स्थान के लिए ट्राफी एवं रुपये 11000/– नगद एवं तृतीय स्थान के लिए ट्राफी तथा रुपये 7000/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय बालरंग के अंतर्गत सरल क्रमांक 17.5 से 17.12 तक की प्रतियोगिताओं का राज्यस्तरीय आयोजन किया जायेगा तथा राज्यस्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त दल राष्ट्रीय लोकनृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगा।

17.2 बाल दिवस :–

14 नवम्बर बालदिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष राज्यस्तरीय आयोजन किया जाता है इस अवसर पर कक्षा 10वीं तथा 12वीं में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को तथा गणित एवं संस्कृत में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्त्ता विद्यार्थी को सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार प्रदेश में कक्षा 5वीं तथा 8वीं में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को **बालश्री** सम्मान से सम्मानित किया जाता है।

17.3 मोगली बाल उत्सव :–

स्कूल शिक्षा एवं अन्य विभागों के सहयोग से विगत 06 वर्षों से मोगली बाल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में वन्य जीवन एवं पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना है। इस आयोजन में 20 लाख से अधिक बच्चे सहभागिता करते हैं। विजेता बच्चों को पेंच अभयारण्य सिवनी में राज्यस्तरीय आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत निम्नांकित प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी :–

क्र.	प्रतियोगिता	स्तर	वर्ग	आयोजन तिथि
1.	निबंध	शाला स्तर	कनिष्ठ (कक्षा 5 से 8) तथा वरिष्ठ वर्ग (कक्षा 9 से 12)	19.सितम्बर .2010
		जन शिक्षा केन्द्र स्तर पर	केवल कनिष्ठ वर्ग	21 सितम्बर 2010
2.	लिखित प्रश्न पत्र	विकासखण्ड स्तर	कनिष्ठ तथा वरिष्ठ वर्ग	26 सितम्बर 2010
3.	प्रश्न मंच	जिला स्तर	कनिष्ठ तथा वरिष्ठ वर्ग	23 अक्टूबर 2010
4	राज्यस्तरीय मोगली बाल उत्सव का आयोजन–पेंच अभयारण्य, सिवनी			नवम्बर 2010 प्रथम सप्ताह

17.4 ग्रामीण विज्ञान प्रदर्शनी तथा विज्ञान मेला :–

इसके अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के सहयोग से ग्रामीण विज्ञान प्रदर्शनी तथा राज्यस्तरीय विज्ञान मेला आयोजित किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रादर्शों को पुरस्कृत किया जाता है।

17.5 कालिदास समारोह :–

कालिदास अकादमी उज्जैन द्वारा देवउठनी एकादशी के अवसर पर प्रतिवर्ष उज्जैन में कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी विगत 10 वर्षों से महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित चित्रांकन, श्लोक गायन, नृत्यनाटिका आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनकी तिथियां निम्नानुसार रहेंगीं :–

प्रतियोगिता	शालास्तर	विकासखण्ड स्तर	जिलास्तर	संभागस्तर	राज्यस्तर
चित्रांकन, श्लोक गायन, नृत्यनाटिका	19 सितम्बर 2009 तक	26 सितम्बर 2009	17 अक्टूबर 2009	24 अक्टूबर 2009	19–21 नवम्बर 2009

17.6 सामूहिक सूर्य नमस्कार :–

राज्य शासन द्वारा योग शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन **12 जनवरी** स्वामी विवेकानन्द जयन्ती, युवा दिवस के अवसर पर आयोजित होता है। इसके अंतर्गत एक संकेत पर एक समय सामूहिक सूर्य नमस्कार तथा प्राणायाम का आयोजन किया जायेगा।

17.7 योग प्रतियोगिता ::

इसके अंतर्गत भाषण, प्रश्नोत्तरी, तात्कालिक भाषण एवं वाद–विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी।

17.8 साहित्यिक प्रतियोगिता :–

17.8.1 इसके अन्तर्गत निबंध, स्वरचितकाव्य (कविता या गजल), लोकगीत, संकलन प्रतियोगिताएं (कहावत या मुहावरा या लोकोक्ति) तथा काव्यपाठ,– पाठ्यपुस्तकों में आये हुये कवियों के कवितापाठ की प्रतियोगिता आयोजित की जायेंगी।

17.8.2 अंग्रेजी भाषा में विद्यार्थियों की रूचि जागृत करने हेतु स्पेलिंग प्रतियोगिता, निबंध लेखन, पत्र लेखन, बोलचाल प्रतियोगिता, ग्रामर क्विज आदि का आयोजन प्रत्येक माह मे एक बार अवश्य किया जाए।

17.9 सांस्कृतिक प्रतियोगिता :–

इसके अन्तर्गत सुगम संगीत, शास्त्रीय नृत्य एवं लोकनृत्य, प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी।

17.10 संस्कृत प्रतियोगिता :–

इसके अंतर्गत नृत्यनाटिका, प्रश्नमंच, वेदपाठ, भाषण एवं निबन्ध प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी।

17.11 मदरसा प्रतियोगिता :–

इसके अन्तर्गत स्वरचितकाव्य (गजल या नज़्म), कव्वाली, निबंध, वाद–विवाद,(बहसमुबाहिसा) एवं प्रश्नमंच, प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी।

17.12 निःशक्त बच्चों की प्रतियोगिता :–

इसके अन्तर्गत सुगम संगीत, नृत्य, सामूहिक अभिनय एवं तात्कालिक भाषण, प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी।

17.13 **प्रतियोगिता आयोजन की तिथियां :–** (क्रमांक 17.7 से 17.12 तक)

प्रतियोगिता	शालास्तर	विकासखण्ड स्तर	जिलास्तर	संभागस्तर	राज्यस्तर
साहित्यिक, सांस्कृतिक, योग, संस्कृत, मदरसा, तथा निःशक्त बच्चों की प्रतियोगिता	19 सितम्बर 2010 तक	26 सितम्बर 2010	24 अक्टूबर 2010	5दिसम्बर 2010	10–12 दिसम्बर 2010

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं हेतु समय एवं प्रतिभागियों की संख्या निम्नानुसार रहेगी :–

17.14 शालाओं में विद्यार्थियों द्वारा की जा रही सहभागिता का अभिलेखीकरण अनिवार्यतः किया जाये।

17.15 **प्रतियोगिताओं का समय कनिष्ठ वर्ग (कक्षा 5 से 8) तथा वरिष्ठ वर्ग (कक्षा 9 से 12) हेतु निम्नानुसार होगा :–**

निबंध लेखन–30 मिनिट, तात्कालिक भाषण–5 मिनिट प्रति प्रतिभागी, स्वरचित काव्यपाठ–5 मिनिट प्रति प्रतिभागी, वाद–विवाद–5 मिनिट प्रति प्रतिभागी, प्रश्नमंच–30 मिनिट, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कविता पाठ–5 मिनिट प्रति प्रतिभागी, सुगम संगीत–5 मिनिट प्रति प्रतिभागी, सामूहिक अभिनय–7 मिनिट प्रति समूह, लोक नृत्य–10 मिनिट प्रति प्रतिभागी, शास्त्रीय नृत्य–5 मिनिट प्रति प्रतिभागी, समूह लोकगीत–08 मिनिट, संकलन (कहावत या मुहावरा या लोकोक्ति–30 मिनिट, कव्वाली–08 मिनिट।

17.16 **शालास्तर से राज्यस्तर तक की प्रतियोगिताओं के लिये चयनित प्रतिभागियों की संख्या प्रत्येक वर्ग से निम्नानुसार होगी :–**

निबंध लेखन–01, तात्कालिक भाषण–01, स्वरचित काव्यपाठ (कविता या गजल)–01, स्वरचित काव्यपाठ (गज़ल या नज़्म)–01, वाद–विवाद–02 (पक्ष–विपक्ष), पाठ्यपुस्तक पर आधारित कविता पाठ–01, प्रश्नमंच–02, सुगम संगीत–01, सामूहिक अभिनय–अधिकतम–05, लोकनृत्य अधिकतम–20 (15 विद्याथी एवं 05 साजिन्दे, शिक्षक आदि), शास्त्रीय नृत्य अधिकतम–05, लोकगीत–01, संकलन (कहावत या मुहावरा या लोकोक्ति)–01, कव्वाली–04

17.17 **खेलकूद गतिविधियों का आयोजन :–**

विभाग द्वारा विद्यार्थियों के शारीरिक विकास हेतु विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का विद्यालय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त जिलों में एक साथ 1 मई से 15 मई तक खेल की विभिन्न विधाओं का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। विद्यालयों में खेल एवं खेल की सुविधा अधिक विकसित हो सके इस हेतु विद्यालयों में खेल का एक पीरियड अनिवार्य किया गया है।

प्रतिवर्ष जुलाई से फरवरी तक विद्यालय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की लगभग 42 खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों को खेलों में अपनी प्रतिभा का अधिक प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हो इस दृष्टि से 03 आयु वर्ग 14 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम एवं 19 वर्ष से कम की प्रतियोगिताओं का छात्र एवं छात्राओं हेतु अलग–अलग आयोजन किया जाता है।

स्कूल शिक्षा विभाग में खेल से जुड़े समस्त खेल शिक्षकों एवं अधिकारियों को खेलों की नई–नई तकनीक एवं नियमों का ज्ञान कराया जा सके इस हेतु संचालनालय द्वारा प्रतिवर्ष खेल महोत्सव का आयोजन किया जाता है।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार खेल गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाये।

18. शाला प्रबंधन समिति/पालक शिक्षक संघ का प्रशिक्षण

विद्यालयों हेतु गठित शाला प्रबंधन समिति, पालक शिक्षक संघ अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छी तरह से कर सकें इसके लिये उन्हें आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

19. परीक्षाएँ

कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा के अतिरिक्त मासिक, तिमाही एवं छमाही तथा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिये वार्षिक परीक्षा के साथ अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन अनिवार्यतः किया जायेगा। सभी संस्था प्रमुखों का यह दायित्व होगा कि इन परीक्षाओं में विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र प्रविष्ट हों। वार्षिक परीक्षा का समय विभाग चक्र पृथक् से घोषित किया जायेगा। मासिक मूल्यांकन सामान्यतः माह के अंतिम 2 कार्यदिवसों में होगा। प्रथम दिन प्रथम कालखण्ड में हिन्दी, द्वितीय में अंग्रेजी तथा तीसरे में विज्ञान का मूल्यांकन होगा। शेष कालखण्ड में नियमित अध्यापन होगा। द्वितीय दिवस प्रथम कालखण्ड में सामाजिक विज्ञान, द्वितीय में संस्कृत/उर्दू तथा तृतीय कालखण्ड में गणित का मासिक मूल्यांकन होगा। शेष तीन कालखण्डों में नियमित अध्यापन होगा। प्रश्नपत्र पोर्टल द्वारा भेजे जायेगे जिनमें प्राचार्य स्व–विवेक से परिवर्तन कर सकेंगे। जिन माहों में त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा प्रि–बोर्ड परीक्षाएॅ होगी उस माह मासिक मूल्यांकन नहीं होगा। मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड किये जाए । प्राचार्य इसमे यथोचित संशोधन कर सकते है। तिमाही तथा छमाही परीक्षा का समय विभाग चक्र निम्नानुसार रहेगाः–

क. त्रैमासिक परीक्षा (कक्षा 9 से 12 तक के लिए)

दिनांक	कक्षा–9वीं	कक्षा–10वीं	कक्षा–11वीं	कक्षा–12वीं
25 अगस्त 10	सामा. हिन्दी/ अंग्रेजी	विशिष्ट–हिन्दी/अंग्रेजी	सामा. हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत	विशिष्ट हिन्दी/ अंग्रेजी
26 अगस्त 10	गणित	विज्ञान	भौतिकी/बहीखाता/इतिहास	रसायन/वाणिज्य के मूलतत्व/भूगोल
27 अगस्त 10	संस्कृत	सामा. अध्ययन	रसायन/वाणिज्य के मूलतत्व/भूगोल	सामा. हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत
28 अगस्त 10	विज्ञान	गणित	विशिष्ट हिन्दी/ अंग्रेजी	गणित/व्या.अर्थ शा./राज.शा.
30 अगस्त 10	सामा. अध्ययन	सामा. हिन्दी/ अंग्रेजी	गणित/व्या.अर्थ शा./राज. शा.	भौतिकी/बहीखाता/इतिहास
31 अगस्त 10	विशिष्ट–हिन्दी/अंग्रेजी	संस्कृत	08 सितम्बर–परीक्षा परिणाम एवं पालक शिक्षक संवाद	
12 सितम्बर को त्रैमासिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की पुनः परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा 15 सितम्बर				

ख. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा (कक्षा 9 से 12 तक के लिए)

दिनांक	कक्षा 9वीं	कक्षा 10वीं	कक्षा 11वीं	कक्षा 12वीं
08/11/10	सामा. हिन्दी/ अंग्रेजी	विशिष्ट–हिन्दी/ अंग्रेजी	सामा.हिन्दी/अंग्रेजी/ संस्कृत	विशिष्ट हिन्दी/ अंग्रेजी
09/11/10	गणित	विज्ञान	भौतिकी/बहीखाता/ इतिहास	रसायन/वाणिज्य के मूलतत्व/भूगोल
10/11/10	संस्कृत	सामा. अध्ययन	रसायन/वाणिज्य के मूलतत्व/भूगोल	सामा. हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत
11/11/10	विज्ञान	संस्कृत	विशिष्ट हिन्दी/ अंग्रेजी	गणित/व्या.अर्थ शा. /राज.शा.
12/11/10	सामा. अध्ययन	सामा. हिन्दी/ अंग्रेजी	गणित/व्या.अर्थ शा. /राज.शा.	भौतिकी/बहीखाता/ इतिहास
13/11/10	विशिष्ट–हिन्दी/ अंग्रेजी	गणित		
02 दिसम्बर को अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं पालक शिक्षक संवाद एवं 12 दिसम्बर को अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की पुनः परीक्षा आयोजित की जायेगी।				

ग. प्रि–बोर्ड परीक्षा (कक्षा 10वीं तथा 12वीं के लिए)

दिनांक	कक्षा 10वीं	कक्षा 12वीं
03/01/2011	विशिष्ट–हिन्दी/अंग्रेजी	विशिष्ट हिन्दी/ अंग्रेजी
04/01/2011	विज्ञान	रसायन/वाणिज्य के मूलतत्व/भूगोल
05/01/2011	सामा. अध्ययन	सामा. हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत
06/01/2011	गणित	गणित/व्या.अर्थ शा./राज.शा.
07/01/2011	सामा. हिन्दी/ अंग्रेजी	भौतिकी/बहीखाता/इतिहास
08/01/2011	संस्कृत	
13 जनवरी को प्रि–बोंर्ड परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं पालक शिक्षक संवाद।		

अर्द्धवार्षिक आकलन

(कक्षा 1 से 8 तक के लिए)

प्राथमिक कक्षा 1 से 5 — **समय 2:30 घंटे**

कक्षा	08.11.10 सोमवार	09.11.10 मंगलवार	10.11.10 बुधवार	11.11.10 गुरूवार	12.11.10 शुक्रवार	13.11.10 शनिवार
1	**मौ+लि** अतिरिक्त विषय–सामान्य उर्दू/मराठी आदि	**मौ+लि** विषय–सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी/उर्दू/ मराठी आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)	**मौखिक** प्रथमभाषा–विशिष्ट हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/मराठी आदि + द्वितीय भाषा–सामान्य अंग्रेजी + गणित			**लिखित** प्रथमभाषा–विशिष्ट हिन्दी/अंग्रेजी/ उर्दू/मराठी आदि+द्वितीय भाषा–सामान्य अंग्रेजी + गणित/संगीत दृष्टि बाधितों हेतु
2	**मौ+लि** अतिरिक्त विषय–सामान्य उर्दू/मराठी आदि	**मौ+लि** विषय–सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी/उर्दू/ मराठी आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)	**मौखिक** प्रथमभाषा–विशिष्ट हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/मराठी आदि + द्वितीय भाषा–सामान्य अंग्रेजी + गणित		**लिखित** प्रथमभाषा–विशिष्ट हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू /मराठी आदि + द्वितीय भाषा–सामान्य अंग्रेजी	**लिखित** गणित/संगीत दृष्टि बाधितों हेतु
3	–	**मौ+लि** विषय–सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी/उर्दू/ मराठी आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)	**मौखिक** प्रथमभाषा–विशिष्ट हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू /मराठी आदि + द्वितीय भाषा–सामान्य अंग्रेजी + गणित +पर्या.अ.	**लिखित** प्रथमभाषा–विशिष्ट हिन्दी/अंग्रेजी/ उर्दू/मराठी आदि + द्वितीय भाषा–सामान्य अंग्रेजी	**लिखित** गणित/संगीत दृष्टिबाधितों हेतु	**लिखित** र्प्यावरण अध्ययन
4	**मौ+लि** अतिरिक्त विषय–सामान्य उर्दू/मराठी आदि	**मौ+लि** विषय–सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी/उर्दू/ मराठी आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)	**मौखिक** प्रथमभाषा–विशिष्ट हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू /मराठी आदि + द्वितीय भाषा–सामान्य अंग्रेजी + गणित +पर्या.अ.	**लिखित** पर्यावरण अध्ययन	**लिखित** प्रथमभाषा–विशिष्ट हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू /मराठी आदि + द्वितीय भाषा–सामान्य अंग्रेजी	**लिखित** गणित/संगीत दृष्टि बाधितों हेतु
5	अतिरिक्त विषय–सामान्य उर्दू/मराठी आदि	सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी/उर्दू/ मराठी आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)	गणित/संगीत दृष्टि बाधितों हेतु	प्रथमभाषा–विशिष्ट हिन्दी/अंग्रेजी/ उर्दू/मराठी	पर्यावरण अध्ययन	द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी

पूर्व माध्यमिक कक्षा 6 से 8 — समय 3 घंटे

कक्षा	08.11.10 सोमवार	09.11.10 मंगलवार	10.11.10 बुधवार	11.11.10 गुरूवार	12.11.10 शुक्रवार	13.11.10 शनिवार	15.11.10 सोमवार
6	सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी/उर्दू/ मराठी/आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)	द्वितीय भाषा– सामान्य अंग्रेजी	विज्ञान	गणित/संगीत दृष्टिबाधितों हेतु	सामाजिक विज्ञान	प्रथम भाषा विशिष्ट हिन्दी /अंग्रेजी/उर्दू/ मराठी (सहायक वाचन सहित)	तीय भाषा–सामान्य संस्कृत/उर्दू/ पंजाबी/ मलयालम आदि भाषाएं/चित्रकलां मूक बधिर हेतु
7	सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी/उर्दू/ मराठी/आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	प्रथम भाषा विशिष्ट हिन्दी /अग्रेजी/उर्दू /मराठी (सहायक वाचन सहित)	द्वितीय भाषा अंग्रेजी	तृतीय भाषा –सामान्य संस्कृत/उर्दू/ पंजाबी/मलयालम आदि भाषाएं/चित्रकलां मूक–बधिरों हेतु	गणित/संगीत दृष्टिबाधितो हेतु
8	सामान्य हिन्दी (अंग्रेजी/उर्दू/ मराठी/आदि माध्यम के परीक्षार्थियों हेतु)	गणित /संगीत दृष्टिबाधितों हेतु	प्रथम भाषा विशिष्ट हिन्दी/ अंग्रेजी/उर्दू /मराठी (सहायक वाचन सहित)	सामाजिक विज्ञान	तृतीय भाषा –सामान्य संस्कृत/उर्दू/ पंजाबी/मलयालम आदि भाषाएं/चित्रकलां मूक–बधिरों हेतु	विज्ञान	द्वितीय भाषा सामान्य अग्रेजी

आकलन में निःशक्त परीक्षार्थियों को परीक्षा निर्देशानुसार अतिरिक्त समय/लेखन अनिवार्य प्रदान किया जाए। कक्षा 2 से 5 तक भाषा के प्रश्न पत्र में दिये गए निर्धारित अनुच्छेद का श्रुतलेखन शिक्षक द्वारा निर्धारित समय में ही कराया जाए। कक्षा 1 से 4 के विद्यार्थियों के लिए मौखिक दक्षताओं का आकलन शाला समय में किसी भी दिन आयोजित की जा सकेगी लेकिन लिखित आकलन निर्धारित समय में ही आयोजित किया जाए। वार्षिक आकलन – माह फरवरी के अंतिम सप्ताह व मार्च के प्रथम सप्ताह की अवधि में होना संभावित है। यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी कक्षों में प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था हो।

प्रश्नपत्र जिस दिन समाप्त हो उसी दिन मूल्यांकन प्रारंभ किया जाये ताकि नियत तिथि को बच्चों के उपलब्धि स्तर की जानकारी दी जाए–

20. **टेली समाधान –**

इसके अन्तर्गत म.प्र. के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों की समस्याओं के निराकरण के लिये शिकायत दर्ज कराने एवं जानकारी प्राप्त करने के लिये निःशुल्क दूरभाष की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस हेतु **काल सेन्टर के दूरभाष क्रमांक 155343** पर कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित के संबंध में संपर्क कर सकता है :–

20.1 गणवेश वितरण।
20.2 साइकिल वितरण।
20.3 छात्रवृत्तियों का वितरण।
20.4 शिक्षकों की शाला से अनुपस्थिति।
20.5 भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत।

21. **शाला भवन/प्रांगण का सांस्कृतिक/सामाजिक उपयोग –**

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ/25/19/97/सी–3/20, दिनांक 13.8.1998 एवं संशोधन पत्र दिनांक 24.9.1998 एवं 20.1.1999 अनुसार शासकीय शाला भवन/प्रांगण को विभिन्न सांस्कृतिक/सामाजिक उपयोग के लिये अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि अध्ययन–अध्यापन कार्य प्रभावित न हो। इस मद में प्राप्त राशि शाला शिक्षा कोष में जमा की जाती है तथा इसका उपयोग शाला भवन के निर्माण, रख–रखाव एवं साज–सज्जा के लिये पालक शिक्षक संघ के अनुमोदन उपरान्त किया जाता है।

22. **निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना का कियान्वयनः—**

शासकीय विद्यालयों में कक्षा कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत समस्त बालक/बालिकाओं को मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित तथा प्रदत्त निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण 01 अप्रैल को सुनिश्चित किया जाये। कक्षा 11 व 12 की जिन पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा नहीं किया जाना हो वे पुस्तकें संस्था प्राचार्यों द्वारा क्रय की जाकर वितरित की जायेंगी।

अप्रेल माह में पुस्तकें वितरित होने के बाद ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 30 अप्रेल तक प्रवेश लिया हो तथा पुस्तकें प्राप्त करने से वंचित रहें हों उन विद्यार्थियों हेतु अतिरिक्त पुस्तकों की मांग प्राचार्यों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से 05 मई तक की जाये। विकासखण्ड स्तर पर पुस्तकें 25 जून के पूर्व उपलब्ध करा दी जायेंगीं तथा 01 जुलाई के पूर्व इनका वितरण सुनिश्चित किया जाये।

23. विद्यालयों में समयबद्ध अध्ययन—अध्यापन के लिये एवं विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने तथा बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के लिये विभिन्न गतिविधियों का आयोजन आगामी पृष्ठों पर तिथिवार दर्शित **कलेण्डर के अनुसार सुनिश्चित किया जाएः—**

अप्रैल 2010

रवि		4 *	11 *	18 *	25 *
सोम		5	12	19 ग्रीष्मावकाश प्रारंभ	26
मंगल		6	13	20	27
बुध		7	14 * डॉ. भीमराव अंबेडकर जयन्ती, बैशाखी	21	28
गुरु	1 सत्रारंभ, प्रवेशोत्सव ,	8	15# विशु	22	29
शुक्र	2* गुड फ्रायडे	9	16	23	30
शनि	3 ☀	10# ☀ बल्लभाचार्य जयंती	17 ☀	24 ☀	

*रविवार/ शासकीय अवकाश, # ऐच्छिक अवकाश, ☀ सूर्य नमस्कार

कुल कार्य दिवस– 24	कुल अध्यापन दिवस– 24	अवकाश–06	उत्सव–00

अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1– प्रवेश प्रारंभ, समय विभाग चक्र का निर्धारण, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई का अध्यापन एवं मूल्यांकन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति तथा अन्य योजनाओं का विद्यार्थियों के बीच प्रचार प्रसार तथा हितग्राहियों को लाभ दिलवाना, 2–गत सत्र की विद्यालयीन कार्ययोजना की समीक्षा। 3. स्थानीय कक्षाओं की पूरक परीक्षाएं 4–विद्यार्थियों की विभिन्न समितियों का गठन एवं पहली बैठक का आयोजन। 5–स्टॉफ के साथ बैठक आयोजित कर विद्यालय की शैक्षिक, सह–शैक्षिक एवं भौतिक उन्नयन संबंधी कार्य योजना पर विचार विमर्श एवं निर्णय 6– प्रायोगिक कार्य प्रारंभ करना। 7–विज्ञान क्लब का गठन, 8–वर्ष 2010–2011 हेतु शैक्षिक कार्ययोजना का निर्माण, 9–बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना हेतु हितग्राहियों का चयन। 10– ग्रीष्मावकाश हेतु विद्यालय के लिए कार्ययोजना का निर्माण। 11– भौतिक सत्यापन– पुस्तकालय, प्रयोगशाला, स्काउट एवं गाइड, एनसीसी, एनएसएस, रेडक्रास, क्रीड़ा इत्यादि, शासकीय/स्थानीय निधियों का आंतरिक सत्यापन एवं अंकेक्षण तथा सत्यापन का समेकित प्रतिवेदन ज़िला शिक्षा अधिकारी को भेजना, 30 अप्रैल –''प्रतिभा सम्मान समारोह''। प्रत्येक ज़िला मुख्यालय पर कक्षा 5वीं एवं 8वीं परीक्षा की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह। 30 अप्रैल को संस्था प्रधान द्वारा स्टॉफ की बैठक लेकर ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय खुलने पर किये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता तय करना। 12– विद्यालय में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिए विषयवार प्रायोजनाओं (प्रोजेक्ट) का प्रदाय। 13– वर्ष 2010–2011 हेतु शैक्षिक कार्ययोजना का निर्माण, 14– साइकिल हेतु पात्र बालिकाओं का चिन्हांकन कर जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराना। कक्षा 1 से 8 तक विषयवार पाठ विभाजन अनुसार मासिक मूल्यांकन किया जाना है। (एबीएल शालाओ को छोड़कर) 15–स्कूल चलें हम अभियान– स्वयंसेवी संगठनों और जन प्रतिनिधियों के सहयोग से

मई 2010

रवि	30 *	2 *	9 *	16 *	23 *
सोम	31	3	10	17	24
मंगल		4	11	18# शंकराचार्य जयंती	25
बुध		5	12	19	26
गुरु		6	13	20	27* बुद्ध पूर्णिमा
शुक्र		7	14	21	28
शनि	1	8	15# छत्रपति शिवाजी जयंती	22	29

*रविवार / शासकीय अवकाश, # ऐच्छिक अवकाश,

कुल कार्य दिवस– 25	कुल अध्यापन दिवस– 00	अवकाश–06	उत्सव–00

मई माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1–बच्चों की सृजनशीलता के अभिवर्धन हेतु ग्रीष्मावकाश के दौरान चित्रकला, क्रियेटिव लेखन तथा नृत्य एवं संगीत के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, 2– खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, 3–योग प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, 4–बालरंग नाट्य शिविरों का आयोजन, 5–ग्रीष्मावकाश हेतु विद्यालय के रख रखाव की कार्ययोजना का क्रियान्वयन। 6–अपलेखन, भौतिक सत्यापन तथा अंकेक्षण, 7– छात्रकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, 8–शिक्षक प्रशिक्षण, 9– प्रवेश निरन्तर, 10–पात्र बालिकाओं की संख्यानुसार निःशुल्क साइकिल हेतु वंटन जारी करना।

जून 2010

रवि		6*	13*	20*	27*
सोम		7	14	21	28
मंगल	1	8	15# छत्रसाल जयंती, महाराणा प्रताप जयंती	22	29
बुध	2	9# विरसामुण्डा का शहीदी दिवस	16	23 ग्रीष्मावकाश समाप्त (शिक्षकों के लिए)	30 ग्रीष्मावकाश समाप्त (छात्रों के लिए)
गुरु	3	10	17	24# बड़ा महादेव पूजन, वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस	
शुक्र	4	11	18	25	
शनि	5	12	19	26 # कबीर जयंती, हजरत अली का जन्म दिवस	

*रविवार / शासकीय अवकाश, # ऐच्छिक अवकाश,

कुल कार्य दिवस–	कुल अध्यापन दिवस– 00	अवकाश–04	उत्सव–00

जून माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1– बच्चों की सृजनशीलता के अभिवर्धन हेतु ग्रीष्मावकाश के दौरान चित्रकला, क्रियेटिव लेखन तथा नृत्य एवं संगीत के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, 2– विद्यालय की अधोसंरचना पूर्ण करना, 3– ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, 4– ग्रीष्मकालीन योग प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, 5– बालरंग नाट्य शिविरों का आयोजन। 6–ग्रीष्मावकाश हेतु विद्यालय के रख रखाव की कार्ययोजना का क्रियान्वयन। अपलेखन, भौतिक सत्यापन तथा अंकेक्षण। 7– प्रवेश निरन्तर 8– विभिन्न छात्र कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन 9– 24 से 30 जून–विषयवार शिक्षक प्रशिक्षण 10–साइकिल वितरण हेतु प्रदाय वंटन का आहरण, । आर.आई.एम.सी. देहरादून प्रवेश परीक्षा 1 एवं 2 जून ।

जुलाई 2010

रवि		4 *	11 *	18 *	25 *
सोम		5	12	19	26
मंगल		6	13# रथयात्रा	20	27
बुध		7	14	21	28
गुरु	1 अध्यापन कार्य पुनः प्रारंभ	8	15	22	29
शुक्र	2	9	16	23	30# शब–ए–बारात मासिक मूल्यांकन
शनि	3 ☼	10 ☼	17 ☼	24 ☼	31 ☼ मासिक मूल्यांकन

*रविवार / शासकीय अवकाश, # ऐच्छिक अवकाश, ☼ सूर्य नमस्कार

कुल कार्य दिवस–27	कुल अध्यापन दिवस–27	अवकाश–04	उत्सव–00

जुलाई माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1– अप्रैल माह में दिये गये प्रायोजनाओं (प्रोजेक्ट) का मूल्यांकन। 2–पाठ्यक्रम की द्वितीय एवं तृतीय इकाई का अध्यापन। 3– गत सत्र की विद्यालयीन कार्ययोजना की समीक्षा। 5– विद्यार्थियों की विभिन्न समितियों का गठन एवं पहली बैठक का आयोजन। 6– स्टॉफ की बैठक आयोजित कर विद्यालय की शैक्षिक, सह–शैक्षिक एवं भौतिक उन्नयन संबंधी कार्य योजना पर विचार विमर्श एवं निर्णय लेना। 7– वर्षा प्रारंभ होते ही जल संरक्षण, संवर्धन एवं संग्रहण की योजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 8– पर्यावरण क्लब के माध्यम से शालापरिसर में वृक्षारोपण करना एवं वृक्षों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था करना। 9– 31 जुलाई तक प्रविष्ट छात्रों का विकासखण्ड एवं ज़िलास्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण एवं नेत्र परीक्षण। 10– प्रायोगिक कार्य निरन्तर जारी रखना। 11– विज्ञान क्लब के गठन की समीक्षा, 12– पात्र बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल का प्रदाय सुनिश्चित करना। 13–निःशक्त बच्चों का चिकित्सकीय मूल्यांकन 14– स्काउट/गाइड एवं रेडक्रास दलों का गठन। अतिरिक्त पुस्तकों हेतु की गयी मांग अनुसार प्राप्त पुस्तकों का वितरण। 15– विश्व जनसंख्या दिवस पर विभिन्न पाठ्यसामग्री गतिविधियों का आयोजन, 16– कक्षा 1 से 8 तक विषयवार पाठ विभाजन अनुसार शिक्षण व मासिक मूल्यांकन किया जाना (ए.बी.एल.शालाओं को छोड़कर)

अगस्त 2010

रवि	1 *	8*	15* स्वतंत्रता दिवस,	22*	29*
सोम	2	9,	16	23# ओणम्	30 त्रैमासिक परीक्षा
मंगल	3	10	17	24 * रक्षा बंधन	31 त्रैमासिक परीक्षा
बुध	4	11	18	25 त्रैमासिक परीक्षा	
गुरु	5	12	19 # पारसी नववर्ष दिवस	26 त्रैमासिक परीक्षा	
शुक्र	6	13 # दुर्गादास राठौर जयन्ती	20	27 त्रैमासिक परीक्षा	
शनि	7 ☼	14# ☼ नाग पंचमी	21 ☼	28 त्रैमासिक परीक्षा	

*रविवार / शासकीय अवकाश, # ऐच्छिक अवकाश, ☼ सूर्य नमस्कार

कुल कार्य दिवस–25 | कुल अध्यापन दिवस– 25 | अवकाश– 06 | उत्सव– 01

अगस्त माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1–पाठ्यक्रम की चतुर्थ इकाई का शिक्षण एवं मूल्यांकन 2– चिकित्सकीय मूल्यांकन हेतु शेष रहे निःशक्त बच्चों का चिकित्सकीय मूल्यांकन। 3.त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन विद्यालय स्तर पर नेत्र परीक्षण/स्वास्थ्य परीक्षण। गणवेश वितरण, शाला से बाहर बच्चों को शाला में आवासीय/गैर आवासीय ब्रिज कोर्स में लाना, सायकल वितरण, दक्षता संवर्धन कार्यक्रम, जन शिक्षा केन्द्र स्तरीय बैठक, शिक्षक प्रशिक्षण। छात्रवृत्तियों हेतु प्रस्तावों का प्रेषण तथा आवंटन।

शिक्षक दैनन्दिनी में निम्नांकित तथ्यों का समावेश किया जाये :–

- छात्र–छात्राओं के पूर्व ज्ञान के बारे में आकलन टीप
- कक्षा में पढ़ायी जाने वाली पाठ्यवस्तु
- वास्तव में पढ़ी जा सकी इकाई
- गृहकार्य
- शिक्षण उपरान्त छात्र–छात्राओं की उपलब्धि का मूल्यांकन
- कमजोर छात्र/छात्राओं हेतु पाठ्यांशों का पुनः सरलीकरण कर विशेष शिक्षण योजना।
    - कक्षा 1 से 8 तक विषयवार पाठ विभाजन अनुसार शिक्षण व मासिक मूल्यांकन किया जाना (ए. बी.एल.शालाओं को छोड़कर)

सितम्बर 2010

रवि		5* शिक्षक दिवस	12*	19*	26*
सोम		6	13	20	27
मंगल		7	14 # नवाखाई	21	28
बुध	1	8 त्रैमासिक परीक्षा परिणाम	15	22# अनंत चर्तुदशी	29 द्वितीय मासिक मूल्यांकन
गुरु	2 * जन्माष्टमी	9	16	23	30 द्वितीय मासिक मूल्यांकन
शुक्र	3	10# जमात–उल–विदा	17 # विश्वकर्मा जयंती	24	
शनि	4 ☼	11 * गणेश चतुर्थी	18 ☼# डोल ग्यारस, राजा शंकरशाह तथा रघुंनाथशाह का बलिदान दिवस	25 ☼	

*रविवार / शासकीय अवकाश, # ऐच्छिक अवकाश, ☼ सूर्य नमस्कार

कुल कार्य दिवस– 24	कुल अध्यापन दिवस–24	अवकाश–06	उत्सव–01

सितम्बर माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1–पाठ्यक्रम की पांचवीं एवं छठवी इकाई का शिक्षण एवं मूल्यांकन, 3 – परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं परीक्षा परिणाम के विश्लेषण के आधार पर निदानात्मक कक्षायें प्रारम्भ करना, 4–पालक शिक्षक संवाद का आयोजन, 5– विद्यार्थियों को दिये गये गृहकार्य का संस्था प्रमुख द्वारा सतत् अवलोकन, 6– शिक्षक डायरी एवं कालखण्ड व्यवस्था पुस्तिका का दैनिक संधारण किया जाए जिसका नियमित अवलोकन संस्था प्रमुख द्वारा किया जाए, 7– प्रथम तिमाही के आधार पर ''डी'' ग्रेड छात्र–छात्राओं (अनुत्तीर्ण) को चिन्हित कर अनुतीर्ण विषयों की पुनः परीक्षा आयोजित की जाए, 8– नेत्र परीक्षण शिविरका आयोजन। 9. पालक शिक्षक संघ प्रशिक्षण, 10. दक्षता संवर्धन कार्यक्रम 11. जन शिक्षा केन्द्र स्तरीय बैठक, शिक्षक प्रशिक्षण 10. 30 सितम्बर तक समस्त छात्रवृत्तियों की राशि का वितरण सुनिश्चित करना।

19 सितम्बर शालास्तर की – मोगली बाल उत्सव (निबंध प्रतियोगिता) साहित्यिक, सांस्कृतिक, योग, संस्कृत, मदरसा, निःशक्त बच्चों की प्रतियोगिता, तथा कालिदास समारोह की प्रतियोगिता का आयोजन।

21 सितम्बर जन शिक्षा केन्दस्तर पर– मोगली बाल उत्सव (निबंध प्रतियोगिता) एवं 26 सितम्बर विकासखण्ड स्तर पर– मोगली बाल उत्सव (लिखित प्रश्नपत्र) तथा अन्य साहित्यिक, सांस्कृतिक, योग, संस्कृत, मदरसा, निःशक्त बच्चों की प्रतियोगिता, तथा कालिदास समारोह की प्रतियोगिता का आयोजन।

कक्षा 1 से 8 तक विषयवार पाठ विभाजन अनुसार शिक्षण व मासिक मूल्यांकन किया जाना (ए.बी.एल.शालाओं को छोड़कर)

5 सितम्बर शिक्षक दिवस का आयोजन

अक्टूबर 2010

रवि	31*	3*	10 *	17* दशहरा (विजयादशमी)	24 *
सोम		4	11	18 * दशहरा अवकाश समाप्त	25
मंगल		5	12	19	26 # करवा चौथ पर्व
बुध		6# प्राणनाथ जयंती	13	20	27
गुरु		7* सर्व पितृमोक्ष अमावस्या	14	21	28
शुक्र	1	8# अग्रसेन जयंती	15#* दशहरा (महाष्टमी) दशहरा अवकाश प्रारंभ	22* महर्षि वाल्मीकि जयंती	29 तृतीय मासिक मूल्यांकन
शनि	2* गाँधी जयंती	9 ☀	16#* दशहरा (महा नवमी)	23 ☀	30 ☀ तृतीय मासिक मूल्यांकन

*रविवार / शासकीय अवकाश, # ऐच्छिक अवकाश, ☀ सूर्य नमस्कार

कुल कार्य दिवस–20	कुल अध्यापन दिवस–20	अवकाश–11	उत्सव–01

अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दायित्व

पाठ्यक्रम की 7 वीं एवं 8 वी इकाई का शिक्षण, एवं मूल्यांकन ,राज्यस्तरीय दक्षता संवर्धन कार्यक्रम, जनशिक्षा केन्द्र स्तरीय बैठक, शिक्षक प्रशिक्षण

विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

23 अक्टूबर जिला स्तर – मोगली बाल उत्सव की प्रश्नमंच प्रतियोगिता एवं अन्य प्रतियोगिताये यथा– साहित्यिक, सांस्कृतिक, योग, संस्कृत, मदरसा, निःशक्त बच्चों की प्रतियोगिता तथा कालिदास समारोह।

24 अक्टूबर संभाग स्तर – साहित्यिक, सांस्कृतिक, योग, संस्कृत, मदरसा, निःशक्त बच्चों की प्रतियोगिता तथा कालिदास समारोह।

कक्षा 1 से 8 तक विषयवार पाठ विभाजन अनुसार शिक्षण व मासिक मूल्यांकन किया जाना (ए.बी.एल.शालाओं को छोड़कर)

नवम्बर 2010

रवि		7*	14* बाल दिवस	21* गुरुनानक जयंती राज्यस्तरीय कालिदास समारोह	28*
सोम	1	8 अर्द्ध वार्षिक परीक्षा	15 अर्द्ध वार्षिक परीक्षा	22	29
मंगल	2	9 अर्द्ध वार्षिक परीक्षा	16	23	30
बुध	3* दीपावली अवकाश प्रारंभ	10 अर्द्ध वार्षिक परीक्षा	17* ईदुज्जुहा	24	
गुरु	4* दीपावली (दक्षिण भारतीय)	11 अर्द्ध वार्षिक परीक्षा	18	25	
शुक्र	5* दीपावली	12 अर्द्ध वार्षिक परीक्षा	19 राज्यस्तरीय कालिदास समारोह	26	
शनि	6* दीपावली अवकाश समाप्त	13 अर्द्ध वार्षिक परीक्षा	20 राज्यस्तरीय कालिदास समारोह	27	

*रविवार/ शासकीय अवकाश, # ऐच्छिक अवकाश, सूर्य नमस्कार

कुल कार्य दिवस–	कुल अध्यापन दिवस– 21	अवकाश–09	उत्सव–01

नवम्बर माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1– शिक्षक डायरी एवं कालखण्ड व्यवस्था पुस्तिका का दैनिक संधारण किया जाए जिसका नियमित अवलोकन संस्था प्रमुख द्वारा किया जाए। 2– दक्षता संवर्धन कार्यक्रम, जनशिक्षा केन्द्र स्तरीय बैठक, शिक्षक प्रशिक्षण, 3–अर्द्व वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन । कक्षा 1 से 8 तक अर्द्ववार्षिक आकलन एबी.एल.शालाओं को छोड़कर (एन.टी.एस. ई–एन.एम.एम.एस चयन परीक्षा द्वितीय रविवार ।

प्रथम सप्ताह–राज्यस्तरीय मोगली बाल उत्सव–पेंच अभ्यारण्य, सिवनी

दिनांक 8 से 15 नवम्बर–अर्द्व वार्षिक आकलन– कक्षा 1 से 8

दिनांक 23 से 29 नवम्बर–अर्द्व वार्षिक परीक्षा– कक्षा 9 से 12

19 से 21 नवम्बर राज्यस्तरीय कालिदास समारोह–उज्जैन

दिसम्बर 2010

रवि		5*	12* राष्ट्रीय बालरंग आयोजन	19*	26* शीतकालीन अवकाश
सोम		6	13	20# दत्तात्रेय जयंती	27* शीतकालीन अवकाश
मंगल		7	14	21	28
बुध	1	8	15	22	29 चतुर्थ मासिक मूल्यांकन
गुरु	2 परीक्षा परिणाम	9	16# योम–ए–अशुरा	23	30 चतुर्थ मासिक मूल्यांकन
शुक्र	3	10 राष्ट्रीय बालरंग आयोजन	17* मोहर्रम	24	31# बालीनाथ जी वेरवा जयंती
शनि	4 ☼	11 राष्ट्रीय बालरंग आयोजन	18# ☼ गुरु घासीदास जयंती	25* क्रिसमस–डे शीतकालीन अवकाश	

*रविवार/ शासकीय अवकाश, # ऐच्छिक अवकाश, ☼ सूर्य नमस्कार

कुल कार्य दिवस–	कुल अध्यापन दिवस– 24	अवकाश–07	उत्सव–00

दिसम्बर माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1–पाठ्यक्रम की दसवी इकाई का शिक्षण एवं मूल्यांकन, 2– विद्यार्थियों को दिये गये गृह कार्य का संस्था प्रमुख द्वारा सतत् अवलोकन, 3– शिक्षक डायरी एवं कालखण्ड व्यवस्था पुस्तिका का दैनिक संधारण किया जाए जिसका नियमित अवलोकन संस्था प्रमुख द्वारा किया जाए, 4– 31 दिसम्बर के पूर्व शाला का वार्षिक स्नेह सम्मेलन आयोजित करना। 5 प्रायोगिक कार्य पूर्ण कराना 6–परीक्षा परिणामों की घोषणा एवं शिक्षक पालक संघ का सम्मेलन, 7– अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा के आधार पर अ– (60 प्रतिशत से अधिक) ब– (45 से 60 प्रतिशत), स–(33 से 45 प्रतिशत) एवं द– (33 प्रतिशत से कम) की श्रेणियों में कक्षा के विद्यार्थियों का विभाजन कर दिसम्बर से फरवरी तक नियमित निदानात्मक कक्षाओं का संचालन। कक्षा 1 से 8 तक विषयवार पाठ विभाजन अनुसार शिक्षण व मासिक मूल्यांकन किया जाना (ए.बी.एल.शालाओं को छोड़कर) आर.आई.एम.सी.देहरादून प्रवेश परीक्षा 1 एवं 2 दिसम्बर

2 दिसम्बर – अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं पालक शिक्षक संवाद

10 से 12 दिसम्बर – राष्ट्रीय बालरंग आयोजन

25 से 27 दिसम्बर – शीतकालीन अवकाश

जनवरी 2011

रवि	30*	2*	9*	16*	23*
सोम	31	3 प्रि–बोर्ड परीक्षा (10 एवं 12)	10	17	24
मंगल		4 प्रि–बोर्ड परीक्षा (10 एवं 12)	11	18	25
बुध		5 प्रि–बोर्ड परीक्षा (10 एवं 12)	12 ☼ स्वामी विवेकानंदजंयती युवा दिवस सामूहिक सूर्य नमस्कार	19	26* गणतंत्र दिवस
गुरु		6 प्रि–बोर्ड परीक्षा (10 एवं 12)	13 परीक्षा परिणाम	20	27
शुक्र		7 प्रि–बोर्ड परीक्षा (10 एवं 12)	14# मकर संक्रांति	21	28
शनि	1 ☼	8 प्रि–बोर्ड परीक्षा (10 एवं 12)	15 ☼	22 ☼	29 ☼

*रविवार / शासकीय अवकाश, # ऐच्छिक अवकाश, ☼ सूर्य नमस्कार

कुल कार्य दिवस– 23	कुल अध्यापन दिवस– 17	अवकाश–07	उत्सव–01

जनवरी माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1–**पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति** 2– विद्यार्थियों को दिये गये गृह कार्य का सतत् अवलोकन, 3–विद्यालयीन पत्रिका का प्रकाशन, 4 – प्रायोगिक कार्य पूर्ण करना, 5– कक्षा 10 एवं 12 के कमजोर एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिये निदानात्मक तथा विशेष अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जाए, 6– शिक्षक डायरी एवं कालखण्ड व्यवस्था पुस्तिका का दैनिक संधारण किया जाए जिसका नियमित अवलोकन संस्था प्रमुख द्वारा किया जाए। 7– दक्षता संवर्धन कार्यक्रम, जनशिक्षा केन्द्र स्तरीय बैठक, शिक्षक प्रशिक्षण, समस्त कक्षाओं 9,10,11,12 के प्रायोगिक कार्य पूर्ण करना। कक्षा 1 से 8 तक विषयवार पाठ विभाजन अनुसार शिक्षण व मासिक मूल्यांकन किया जाना (ए.बी.एल. शालाओं को छोड़कर)

3 से 8 जनवरी– प्रि– बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन

13 जनवरी – प्रि– बोर्ड परीक्षा का परिणाम एवं पालक शिक्षक संवाद

12 जनवरी – युवा दिवस–सामूहिक सूर्य नमस्कार

स्वामी विवेकानंद जयंती (युवा दिवस)

फरवरी 2011

रवि		6*	13*	20*	27*
सोम		7	14	21	28
मंगल	1	8# वसंत पंचमी	15	22	
बुध	2	9	16	23	
गुरु	3	10	17	24	
शुक्र	4	11	18	25	
शनि	5 ☼	12 ☼	19 ☼	26 ☼	

*रविवार/ शासकीय अवकाश, # ऐच्छिक अवकाश, ☼ सूर्य नमस्कार

कुल कार्य दिवस– 24	कुल अध्यापन दिवस– 24	अवकाश–04	उत्सव–00

फरवरी माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1– पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति एवं इकाई वार मूल्यांकन, 2– प्रि–बोर्ड परीक्षाओं के 'डी'ग्रेड विद्यार्थियों की विशेष निदानात्मक कक्षाओं का आयोजन। 3– विशेष कक्षाएं जारी रखना, 4– विद्यार्थियों का दिये गये गृहकार्य का संस्था प्रमुख द्वारा सतत अवलोकन, 5– विद्यार्थियों की विषयगत कठिनाइयों का निराकरण करना, 6–स्थानीय कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं 7– फरवरी माह में अध्यापन कार्य निरन्तर जारी रहेगा। कक्षा 1 से 8 तक विषयवार पाठ विभाजन अनुसार शिक्षण व मासिक मूल्यांकन किया जाना (ए.बी.एल.शालाओं को छोड़कर)

स्थानीय कक्षा 9वीं तथा 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन

मार्च 2011

रवि		6*	13*	20*	27*
सोम		7	14	21	28
मंगल	1	8	15	22	29
बुध	2* महाशिवरात्रि	9	16	23	30
गुरु	3	10	17	24 रंगपंचमी	31
शुक्र	4	11	18	25	
शनि	5 ☉	12 ☉	19 होलिका दहन	26 ☉	

*रविवार/ शासकीय अवकाश, # ऐच्छिक अवकाश, ☉ सूर्य नमस्कार

कुल कार्य दिवस– 26	कुल अध्यापन दिवस– 26	अवकाश–05	उत्सव–00

मार्च माह के महत्वपूर्ण दायित्व

1– **स्थानीय वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन एवं उनका मूल्यांकन** – अ– हाईस्कूल एवं हायर सेकण्ड्री परीक्षा (बोर्ड द्वारा घोषित समयानुसार) ब– स्थानीय कक्षा 9वीं एवं 11वीं परीक्षा का परिणाम घोषित करना। स– प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा का परिणाम घोषित करना। द–आगामी सत्र की पूर्व तैयारी।

31 मार्च स्थानीय परीक्षा परिणाम की घोषणा

परिशिष्ट–एक

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा संचालित प्रमुख छात्रवृत्तियाँ

स.क्र.	छात्रवृत्ति का नाम	कक्षा	विस्तृत जानकारी हेतु पता
1.1	मृत/अपंग/सेवानिवृत कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति/पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति	01 से 12 वीं तक	छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के संबंध में आवेदन पत्र, विस्तृत विवरण, दर एवं शर्ते लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी किये गये है। **संपर्क हेतु पताः–** संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय **वेबसाइट** www.sednmp.nic.in
1.2	समर्पण करने वाले दस्यु एवं दस्यु पीड़ित परिवारों के बच्चों को शिष्यवृत्ति	01 से 12 वीं तक	
1.3	स्वामी विवेकानन्द पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति योजना,	11 वीं से 12 वीं तक	
1.4	सुदामा प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति,	09 वीं से 10 वीं तक	
1.5	सुदामा शिष्यवृत्ति योजना,	11 वीं से 12 वीं तक	
1.6	डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम मेधावी छात्र पुरस्कार योजना,	माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 12 वीं उत्तीर्ण। प्रत्येक जिले से संकायवार एक छात्र एवं एक छात्रा	
1.7	सैनिक स्कूल रीवा हेतु छात्रवृत्ति	06 से 12 वीं तक	
1.8	परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं में प्रथमा एवं मध्यमा कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति	कक्षा प्रथमा से मध्यमा तक	
2	सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति	06वीं से 08 वीं तक	**संपर्क हेतु पताः–** राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल **वेबसाइट–** www.ssa.mp.gov.in
3	संस्कृत का अध्ययन करने वाले नियमित विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति	09 वीं से 12 वीं तक पूर्व मध्यमा/उत्तर मध्यमा/प्राक शास्त्री तथा समकक्ष	कक्षा 9,10,11 एवं 12 तथा समकक्ष कक्षाओं पूर्व मध्यमा/उत्तर मध्यमा में संस्कृत विषय लेकर पढने वाले मेघावी विद्यार्थियों के लिये संस्कृत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन–पत्र सीधे रजिस्ट्रार **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 56–57 इंस्टीटृयूशनल एरिया जनकपुरी नई दिल्ली** 110058 के पास भेजे जाने है, तथा **वेबसाइट www.sednmp.nic.in** तथा **वेबसाइट** www.sanskrit.nic.in पर विस्तृत विवरण देखें।
4	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 2007 अंतर्गत छात्रवृत्ति/मेघावी पुरस्कार योजना	01 से 12 वीं तक	**सामाजिक न्याय विभाग, तुलसी नगर भोपाल** से आवेदन पत्र, विस्तृत विवरण, दर एवं शर्तो संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। **आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत को भिजवायें।**
5	अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु पोस्ट मेट्रिक एवं प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति	01 से 12 वीं तक	संपर्क हेतु पताः– पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आधार तल, सतपुडा भवन भोपाल **वेबसाइट** www.mp.gov.in/bcwelfare
6	(अ) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण पंजीवद्ध निर्माण	09 से 12 वीं तक	**संपर्क हेतु पताः–** श्रम विभाग, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य

	कर्मकारों के पुत्र/पुत्रियों के लिए। (ब) मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना	कक्षा 5 से 12 तक प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर रुपये 1000/— से लेकर 3000/— तक का नगद पुरस्कार दिया जाता है।	संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, डी ब्लाक, पुराना सचिवालय, भोपाल अशा0 विद्यालय हेतु संकुल प्राचार्य को आवेदन प्रस्तुत करें। संपूर्ण जानकारी हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय में संपर्क करें।
7	राज्य छात्रवृत्ति	01 से 12 वीं तक	अनु.जाति/ज.जा/पिछड़ा वर्ग आदि के लिए राज्य छात्रवृत्ति **के संबंध में संपर्क हेतु पता — जिला संयोजक/सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग**
8	बालिका शिक्षा	कक्षा 9वीं में अध्ययनरत अनु.जाति/जनजाति तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बालिकाएं।	लोक शिक्षण संचालनालय म. प्र. भोपाल www.educationportal.mp.gov.in
9	इन्सपायर अवार्ड योजना	कक्षा 6 से कक्षा 10 तक प्रावीण्य सूची में स्थान होने पर	लोक शिक्षण संचालनालय म. प्र. भोपाल www.educationportal.mp.gov.in
10	व्यावसायिक शिक्षा		
11	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत स्कूली निराश्रित/निःशक्त बच्चों को पेंशन	6 से 14 वर्ष के अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को 150/— प्रतिमाह	स्थानीय निकाय, जिला उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय
12	निः शक्त छात्रवृत्ति	सभी वर्ग के अध्ययनरत निः शक्त बच्चों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति ।	ग्रामीण क्षेत्र के निःशक्त छात्रों का शैक्षणिक संस्था के प्रमुख के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र के आवेदन पर विभागीय जिला शिक्षा अधिकारी पंचायत एवं सामाजिक न्याय को भेजना है।
13	लाड़ली लक्ष्मी योजना	बालिकाओं के 6 वीं प्रवेश पर 2000/— बालिकाओं के 9 वीं में प्रवेश पर —4000/— बालिकाओं के 11 वीं में प्रवेश पर —7000/—	निकट की आंगनवाड़ी या महिला बाल विकास कार्यालय से संपर्क करें।
14	प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना	पिछड़ा वर्ग के कक्षा 5 वीं एवं 7वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यार्थियों को प्रोत्साहन की दृष्टि से आर्थिक सहायता — छात्र —40 छात्रा —50 प्रतिमाह	आदिवासी विकास विभाग—विभागीय जिला सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक
15	बंजारा जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री—मैट्रिक शिष्यवृत्ति	केवल खरगोन जिले में बंजारा जाति के आवासीय विद्यार्थियों हेतु 250/— प्रतिमाह शिष्यवृत्ति(कक्षा 6 से 10 तक)	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग
16	हाई स्कूल एवं हायर सेण्डरी परीक्षा व दृष्टिहीन, मूक—बधिर परीक्षार्थियों के लिए छात्रवृत्ति।	विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां	माध्यमिक शिक्षा मण्डल
17	जिला स्तरीय छात्रवृत्तियां	हाई स्कूल, हायर सेण्डरी की संयुक्त प्रवीण्य सूची में प्रथम 10 स्थान प्राप्त परीक्षार्थियों को छात्रवृत्ति।	माध्यमिक शिक्षा मण्डल
18	एन.एम.एम.एस. छात्रवृत्ति भारत सरकार	क्षा 8 वीं	जिला शिक्षा अधिकारी एवं www.ssa.mp.gov.in/common services centre

परिशिष्ट–दो (1)

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समयसारिणी

अप्रेल	1 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम आरंभ किया जाना	01 अप्रेल 2010 तक
	2. छात्रावास/आश्रम में प्रवेशित छात्रों का नवीनीकरण एवं शिष्यवृत्ति स्वीकृति	07 अप्रेल 2010 तक
	3. रिक्त छात्रावास/आश्रम सीटों पर प्रवेश	30 अप्रेल 2010 तक
	4. राज्य छात्रवृत्ति का नवीनीकरण	30 अप्रेल 2010 तक
	5. उत्कृष्ट छात्रावासों में छात्रों को स्टेशनरी, गणवेश प्रदाय एवं कोचिंग प्रारंभ	30 अप्रेल 2010 तक
मई	भण्डार सामग्री का सत्यापन एवं अनुपयोगी सामग्री का अपलेखन	30 मई 2010 तक
जून	उपलब्ध आवंटन की सीमा तक संस्थाओं की वार्षिक मरम्मत एवं रंगाई पुताई	30 जून 2010 तक
जुलाई	1. छात्रावास/आश्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए शिष्यवृत्ति स्वीकृत	5 जुलाई, 2010 तक
	2. पोस्टमेट्रिक छात्रावासों का नवीनीकरण	31 जुलाई 2010 तक
	3. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन की नवीनीकरण एवं नवीन स्वीकृतियां	31 जुलाई 2010 तक
	4. पोस्टमेट्रिक छात्रावासों मे अंग्रेजी प्रशिक्षण	07 जुलाई, 2010 तक
अगस्त	1. छात्रावास/आश्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए शिष्यवृत्ति स्वीकृत	05 अगस्त, 2010 तक
	2. विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को पात्रतानुसार गणवेश वितरण	15 अगस्त 2010 तक
	3. राज्य एवं पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृतियां (नवीन)	31 अगस्त, 2010 तक
सितम्बर	1. छा.त्रावास/आश्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए शिष्यवृत्ति स्वीकृत	05 सितम्बर, 2010 तक
	2. पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की प्रथम किश्त का भुगतान	07 से 15 सितम्बर, 2010 तक
अक्टूबर	1. छात्रावास/आश्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए शिष्यवृत्ति स्वीकृत	05 अक्टूबर, 2010 तक
	2. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन का वितरण	31 अक्टूबर, 2010 तक
	3. राज्य छात्रवृत्ति का वितरण (एक किश्त में)	31 अक्टूबर, 2010 तक
नवम्बर	छात्रावास/आश्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए शिष्यवृत्ति स्वीकृत	05 नवम्बर, 2010 तक
दिसम्बर	छात्रावास/आश्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए शिष्यवृत्ति स्वीकृत	05 दिसम्बर, 2010 तक
जनवरी	छात्रावास/आश्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए शिष्यवृत्ति स्वीकृत	05 जनवरी, 2011 तक
फरवरी	छात्रावास/आश्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए शिष्यवृत्ति स्वीकृत	05 फरवरी, 2011 तक
	पो–मेट्रिक छात्रवृत्ति की द्वितीय किश्त का भुगतान	28 फरवरी, 2011 तक
मार्च	छात्रावास/आश्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए शिष्यवृत्ति स्वीकृत	05 मार्च, 2011 तक

परिशिष्ट–दो (2)

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित छात्र कल्याणकारी योजनाएँ

(1) अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास और आश्रम शालाएं –

अनुसूचित जाति जनजाति और विमुक्त जाति के छात्र–छात्राओं को अध्ययन हेतु आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के तीन भाग है :–

(अ) **प्रीमैट्रिक छात्रावास** – इन छात्रावासों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है।

(ब) **आश्रम शालायें** – आश्रम शालाएं छात्र–छात्राओं के लिए पृथक–पृथक कक्षा 1 से 8 तक संचालित हैं। इन आश्रम शालाओं में छात्र–छात्राओं को आवासीय सुविधा के अंतर्गत शैक्षणिक सुविधा व शिष्य वृत्ति भी प्रदान की जाती है।

(स) **पोस्टमैट्रिक छात्रावास**– कक्षा 11 वीं एवं उससे Åपर की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का पोस्टमैट्रिक छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है।

(2) छात्रगृह योजना –

छात्रगृह योजना के लाभ के लिए पांच या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को एक साथ निवास करने पर छात्रगृह की सुविधा के अंतर्गत छात्रावासीय दर पर छात्रवृत्ति तथा भवन का किराया एवं बिजली, पानी के देयकों का भुगतान किया जाता है।

(3) राज्य छात्रवृत्ति (प्रीमैट्रिक)

अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता के लिये निम्नानुसार दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है ।

कक्षा	छात्रवृत्ति की दर	
	छात्र	छात्रा
1 से 5	150 (सिर्फ विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को)	150 रू.
6 से 8	200 रू.	300 रू.
9 से 10	600 रू.	800 रू.

(4) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

उद्देश्य कक्षा 11 से लेकर स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं, जिसमें आयुर्वेदिक, इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा भी शामिल हैं, में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने हेतु निम्नानुसार दरों से छात्रवृत्ति दी जाती है :–

समूह	विषय	दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दरें छात्रावास	गैरछात्रावास
वर्ग–1	चिकित्सा, इंजीनियरिंग और साइंस वित्त प्रबंधन समूह	1500	330
वर्ग–2	आयुर्वेदिक,यूनानी,होम्योपैथिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विज्ञान में डिप्लोमा और अन्य स्नातकोत्तर पाठयक्रम	510	330
वर्ग–3	इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कृषि चिकित्सा विज्ञान, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम	355	185
वर्ग–4	सामान्य स्नातकोत्तर पाठयक्रम कक्षा 11 वीं, 12 वीं और स्नातकोत्तर तक पाठयक्रम का सामान्य प्रथम वर्ष	235	140

(5) **कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के छात्रावासीय छात्रों को** अतिरिक्त **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति**

योजना कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी जो छात्रावास में प्रवेशित हैं, उन्हें प्री मेट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों के समान शिष्यवृत्ति प्राप्त हो सकें इस दृष्टि से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में देय छात्रवृत्ति के अतिरिक्त छात्रों को 265 रूपये एवं छात्राओं को 290 रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त छात्रवृत्ति राज्य शासन देता है।

(6) **उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन योजना**

प्रतिभावान आदिवासी खिलाड़ियों में प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभा के निखारने हेतु प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले आदिवासी खिलाड़ियों को निम्नानुसार राशि दी जाती है :–

1. **राष्ट्रीय स्तर** –राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को रूपये चार हजार प्रति छात्र।
2. **व्यक्तिगत स्पर्धाओं में** :–
   - **अ.** स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले को रूपये इक्कीस हजार।
   - ब. रजत पदक प्राप्त करने वाले को रूपये पन्द्रह हजार।
   - स. कांस्य पदक प्राप्त करने वाले को रूपये ग्यारह हजार ।
3. **सामूहिक स्पर्धाओं में :–**
   - अ. स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले को रूपये दस हजार।
   - ब. रजत पदक प्राप्त करने वाले को रूपये सात हजार ।
   - स. कांस्य पदक प्राप्त करने वाले को रूपये पांच हजार।
4. **राज्य स्तर –**
   - अ. प्रथम स्थान प्राप्त करने पर–रूपये सात हजार ।
   - ब. द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर–रूपये पांच हजार।
   - स. तृतीय स्थान करने पर– रूपये तीन हजार ।

(7) **प्रतिभाशाली आदिवासी छात्र–छात्राओं के लिए नेतृत्व विकास शिविर का आयोजन**

19 आदिवासी बाहुल्य जिलों के कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में सर्वाधिक अंक पाने वाले आदिवासी वर्ग के लिए एक छात्र तथा एक छात्रा को प्रतिवर्ष 23 जनवरी से 28 जनवरी तक भोपाल में आमंत्रित कर '' नेतृत्व विकास की क्षमता'' बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

(8) **कन्या साक्षरता प्रोत्साहन**

ऐसी कन्याएं जो कक्षा–6,9 एवं 11 में प्रवेश लेती हैं उनके प्रवेश लेने पर क्रमशः रूपये 500/–, 1000/– एवं 3000/–प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि छात्रावृत्ति के अतिरिक्त देय होती है।

(9) उत्कृष्ट छात्रावास योजना

जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालयों पर बालक/कन्या उत्कृष्ट छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, इन छात्रावासों में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र–छात्राओं को अंको की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

(10) आवासीय विद्यालय

अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कक्षा 6 से 12 तक के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को आवासीय सुविधा रहित विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

(12) प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में एवं सैनिक स्कूल में प्रवेश योजना

सैनिक स्कूल रीवा तथा प्रदेश में स्थित डेली कालेज इन्दौर, सिंधिया पब्लिक स्कूल, ग्वालियर, देहली पब्लिक स्कूल, भोपाल/इन्दौर जैसे विशिष्ट पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के होनहार विद्यार्थियों के लिये 10–10 सीट्स आरक्षित कराई गई है। इनमें चयन उपरांत प्रवेशित छात्रों की स्कूल फीस तथा अन्य शुल्कों का वहन विभाग द्वारा किया जाता है।

(13) विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना

अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के ऐसे अभ्यार्थी जो स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, शोध उपाधि प्राप्त करने के लिये विदेशों में अध्ययन करना चाहते है, उन्हें राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में अधिकतम रूपये 15.00 लाख प्रतिवर्ष दिये जाने का प्रावधान है।

(14) विभागीय छात्रावास में रोजगारोन्मुखी कम्पयूटर प्रशिक्षण योजना

जिलास्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में अध्ययनरत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं के लिए मेपसेट द्वारा रोजगारोन्मुखी कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है।

(15) जनश्री बीमा योजना

विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया, बैगा तथा सहरिया के किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर रूपये 20 हजार की राशि भुगतान की जाती है।

(16) विद्यार्थी कल्याण

आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को निम्नलिखित विशिष्ट परिस्थितियों में आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए रूपये 1000/– से 25000/– तक सहायता दी जाती है।

16.1 आकस्मिक विपत्ति में सहायता।
16.2 विशेष रूप से पीड़ित होने पर रोग निवारण हेतु सहायता।
16.3 विद्यार्थी की विशेष अभिरूचि को प्रोत्साहन देने हेतु सहायता।
16.4 लोक नृत्य, लोकगीत, खेलकूद आदि के प्रदर्शन में भाग लेने हेतु सहायता।
16.5 विद्यार्थियों के कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सहायता।

(17) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रुपये 1.20 लाख से कम आय सीमा वाले परिवार के आवेदकों को सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिया जाना।** आवेदकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने का प्रावधान है।

परिशिष्ट–तीन (1)

भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश
राज्य एवं संभाग स्तरीय वार्षिक कार्यक्रम–2010–11

माह	राज्य स्तरीय कार्यक्रम	संभाग स्तरीय कार्यक्रम
अप्रैल–10	राष्ट्रपति स्काउट / गा.,प्रशिक्षण शिविर– / 24 से 28 अप्रैल–10 / राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गाँधी नगर, भोपाल	अभिरूचि केन्द्र संचालक बैठक
अप्रैल–10		निपुण रोवर / रेंजर प्रशिक्षण शिविर
मई–10	जल स्काउटिंग शिविर–06 से 15 मई–10 रा.मु. भोपाल / जिला संघ भोपाल शहर के लिए।	
मई–10	अभिरूचि केन्द्र का संचालन 05 से 30 मई–10 / रा.मु. भोपाल / जिला संघ भोपाल शहर के लिए।	
मई–10	**राज्य पुरस्कार स्का. / गा. जाँच शिविर** 01 से 05 मई–10 इंदौर / उज्जैन / होशंगाबाद / भोपाल 06 से 10 मई–10 चम्बल / ग्वालियर / सागर 11 से 15 मई–10 जबलपुर / शहडोल / रीवा हेतु राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर	
जून–10	रोवर / रेंजर,ट्रेकिंग–01 से 10 जून–10 / वागेशवर, उत्तरांचल	
जून–10	स्काउटर / गाइडर, हाईक–06 से 12 जून–10नैनीताल, उत्तरांचल	
जून–10	राज्य पुरस्कार स्का. / गा.जॉच शिविर–26 से 30 जून–10 / राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर	
जून–10	निपुण रोवर / रेंजर, जाँच शिविर–26 से 30 जून–10 / राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल म.प्र.।	
जुलाई–10	डी.ओ.सी. / डी.टी.सी / सचिव संगोष्ठी–06 से 08 जुलाई–10 / राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल म.प्र।	
जुलाई–10	संभागीय समीक्षा बैठक–संभागवार संभागीय मुख्यालय में। / राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल म.प्र.।	
जुलाई–10	संगठन अधिकारियों की समीक्षा बैठक–29 से 31 जुलाई–10 / राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल म.प्र.।	
अगस्त–10	**स्काउटर / गाइडर सेमिनार–** 03 से 05 अगस्त–10– इंदौर / उज्जैन / होशंगाबाद / भोपाल हेतु इंदौर संभाग में 03 से 05 अगस्त–10–चम्बल / ग्वालियर / सागर हेतु ग्वालियर संभाग में 03 से 05 अगस्त–10–जबलपुर / शहडोल / रीवा हेतु रीवा संभाग	कब मास्टर बेसिक प्रशिक्षण शिविर
अगस्त–09	प्र.मंत्री / उपराष्ट्रपति शील्ड कार्यशाला–20 से 22 अगस्त–09 / राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल म.प्र.	
सितम्बर–10	बैज उपसमिति की बैठक–1 सितम्बर–10 / राज्य मुख्यालय,भोपाल मध्यप्रदेश	बेसिक फ्लाक लीडर प्रशिक्षण शिविर

03 सितम्बर–10	स्काउट / गाइड उपसमिति बैठक–03 सितम्बर–10 / राज्य मुख्यालय भोपाल	
04 सितम्बर–10	योजना समिति की बैठक–04 सितम्बर –10 / राज्य मुख्यालय भोपाल	
सितम्बर –10	एडवेन्चर कोर्स–6 से 12 सितम्बर–10 / संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र, कालाकुण्ड, इन्दौर।	
सितम्बर–10	कमिश्नर कान्फ्रेन्स 7 सितम्बर–10 (शिक्षा विभाग) 8 सितम्बर–10 (आदिवासी वि.) राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर भोपाल म0प्र0।	
अक्टूबर–10	रोवर / रेंजर, समागम–20 से 24 अक्टूबर–10 / मांडव, धार	जम्बूरी ऑन द एयर / जोटा–जोटी
अक्टूबर–10	1–राज्य पुरस्कार स्काउट / गाइड रैली– 5 से 9 अक्टूबर 10 2–चतुर्थ चरण हिरक पंख जांच शि. रैली–8 से 12 अक्टूबर 10	
नवम्बर –10	पेट्रोल लीडर कैम्पुरी–15 से 19 नवम्बर –10	तृतीय सोपान स्काउट–गाइड जांच शिविर
नवम्बर –10	कब / बुलबुल उत्सव–9 से 14 नवम्बर 10 / राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल म0प्र0	प्रवीण रोवर / रेंजर जांच शिविर
नवम्बर –10	संगठन अधिकारियों की समीक्षा बैठक–28 से 30 नवम्बर–10 / राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल म.प्र.।	तृतीय चरण / स्वर्ण पंख जांच शिविर
दिसम्बर–10	रॉक क्लाईमिंग शिविर–2 से 6 दिसम्बर–10 / पचमढ़ी म0प्र0	राज्य पुरस्कार स्का. / गा.प्रशि.शिविर
जनवरी –11	संगठन अधिकारियों की समीक्षा बैठक–29 से 31 जनवरी–11 / राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल म.प्र.	प्रधानमंत्री शील्ड / उपराष्ट्रपति शील्ड प्रति. में हिस्सा लेने वाले स्काउटर–गाइडर की बैठक
फरवरी 11	स्काउट / गाइड उपसमिति की बैठक बैज समिति–06 फरवरी –11 / राज्य मुख्यालय भोपाल	
फरवरी 11	बैज उपसमिति की बैठक– 6 फरवरी 11 / राज्य मुख्यालय केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल, मध्यप्रदेश	
मार्च 11	अधिकारियों की वार्षिक समीक्षा बैठक–24 से 26 मार्च –11 / राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल म0प्र0	

नोटः–1. राज्य एवं संभाग स्तरीय कार्यक्रम के परिपत्र जारी होने पर जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला कमिश्नर (स्का. / गा.) संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण चयनित स्काउट–गाइड स्काउटर गाइडर की प्रतिभागिता सुनिश्चित करेंगे।

भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश
ग्रुप/ब्लाक/जिला स्तरीय वार्षिक कार्यक्रम–2010–11

माह	ग्रुप (विद्यालय) स्तरीय	ब्लाक स्तरीय	जिला स्तरीय
अप्रेल, मई, जून–2010	–	अभिरूचि केन्द्र का संचालन	अभिरूचि केन्द्र का संचालन
अप्रैल –2010	–	–	प्रधानीमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उपराष्ट्रपति अवार्ड प्रति सम्मिलित यूनिट लीटर की कार्यशाला।
मई,जून–2010	–	जल सेवा शिविर/पर्यावरण सप्ताह	जल सेवा शिविर
अप्रैल –2010	–	–	कम्यूनिटी डेवलपमेंटश उप समिति बैठक
05 से 11 जून 2010	–	–	पर्यावरण सप्ताह
जुलाई–अगस्त 2010	वृक्षारोपन दिवस पर वृक्षारोपन करना	वृक्षारोपन अभियान	वृक्षारोपन अभियान
जुलाई 2010	दल गठन,पुर्नगठन व पंजीयन कार्य पूर्ण करना	–	प्राचार्य संस्था प्रधान संगोष्ठी (01 दिवसीय)
अगस्त 2010	स्वतंत्रता दिवस पर रैली, कार्यक्रम व वृक्षारोपन करना।	संस्था प्रधान संगोष्ठी	जिला संघ का वार्षिक अधिवेशन
अगस्त 2010	–	ब्लाक संघ का वार्षिक अधिवेशन/टोली नायक प्रशिक्षण शिविर (स्काउट)	बेसक स्काउट मास्टर प्रशिक्षण शिविर
सितम्बर 2010	शिक्षक दिवस का आयोजन	द्वितीय सोपान स्काउट/गाइड प्रशिक्षण शिविर	
सितम्बर 2010	स्थानीय हाईक जिला कमिश्नर/ब्लाक कमिश्नर स्काउट/गाइड की अनुमति से	स्थानीय हाईक (जिले) में	गाइड डीजल पेट्रोल प्रशिक्षण शिविर
2 से 9 सितम्बर 2010	....	....	यातायात प्रशिक्षण शिविर
8 से 11 सितम्बर 2010	....	....	उद्योग पर्व सप्ताह
सितम्बर 2010	....	....	जिला योजना समिति बैठक
सितम्बर 2010	....	....	जिला बैज समिति बैठक
सितम्बर 2010	....	....	व्यस्क संसाधन समिति बैठक
सितम्बर 2010	....	....	स्काउट गाइड उप समिति बैठक
2 से 8	गांधी जयंती व सर्वधर्म		गांधी जयंती (कुष्ठ निवारण

अक्टूबर 2010	प्रार्थना		सप्ताह)
22 से 28 अक्टूबर 2010	....	....	आउटडोर सप्ताह (सहासिक गतिविधि / ट्रेकिंग / हाईक / रैली)
अक्टूबर 2010	....	....	आपदा न्यून सप्ताह
नवम्बर 2010	स्काउट / गाइड स्थापना दिवस,फंडरेजिंग डे।	स्थापना दिवस एवं स्काउट–गाइड सप्ताह	प्रवीण रोवर / रेंजर प्रशिक्षण शिविर
7 से 14 नवम्बर 2010	हस्तकला, लघु उद्योग मेला का आयोजन करना वधनाराशि एकत्र करना । (उद्योग पर्व का आयोजन)	....	स्काउट / गाइड स्थापना दिवस व सप्ताह
नवम्बर 2010	शांति रैली का आयोजन करना।	....	द्वितीय चरण / रजत पंख जांच शिविर
नवम्बर 2010	अभिभावक दिवस का आयोजन व स्थानीय टिफिन पार्टी	....	द्वितीय सोपान स्काउट / गाइड जांच शिविर
दिसम्बर 2010	स्थानीय हाईक जिला कमिश्नर / ब्लाक कमिश्नर स्काउट / गाइड की अनुमति से	....	....
जनवरी 2011	विवेकानंद जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना, केम्पफायर / गणतंत्र दिवस का आयोजन	कब–बुलबुल हाली डे कैम्प (एक दिवसीय)	यातायात सप्ताह
फरवरी 2011	बी.पी.डे. / थिंकिंग डे (विचार दिवस) का आयोजन	....	जिला स्काउट / गाइड / बैज समिति बैठक
22 फरवरी 2011	....	....	बी.पी.डे. / विचार दिवस

नोटः–(1)ग्रुप (विद्यालय)स्तरीय कार्यक्रम विद्यालय में सपन्न हो इसकी जवाबदारी संस्था प्रधान की होगी। (2)ब्लाक एवं जिला स्तरीय कार्यक्रम की तिथियों का निर्धारण एवं उसके अनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला कमिश्नर स्काउट की होगी।

परिशिष्ट–चार (1)

एन.सी.सी. वर्ष 2010–11 प्रमुख शिविरों की अनुसूची

निदेशालय स्तर के शिविर

क्र.	शिविर का नाम	स्थान	अवधि
1	समर कैम्प	पचमढ़ी, इन्दौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर	मई / जून 2010 (10 दिवसीय शिविर)
2	थल सैनिक (बालक) एवं (बालिका) चयन एवं प्रशिक्षण शिविर	खण्डवा	जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर (12 दिन अवधि के चार शिविर)
3	नौ सैनिक चयन एवं प्रशिक्षण शिविर	जबलपुर	सितम्बर एवं अक्टूबर (12 दिन अवधि के दो शिविर)
4	वायु सैनिक चयन एवं प्रशिक्षण शिविर	भिलाई / इन्दौर	नवम्बर एवं दिसम्बर (12 दिन अवधि के चार शिविर)
5	आर डी सी (गणतंत्र दिवस) चयन एवं प्रशिक्षण शिविर	भोपाल	सितम्बर, अक्टूबर नवम्बर एवं दिसम्बर (12 दिन अवधि के चार शिविर)
6	राष्ट्रीय एकता शिविर	चित्रकूट, दूर्ग एवं जबलपुर	नवम्बर एवं दिसम्बर (12 दिन अवधि के तीन शिविर)
7	शूटिंग चयन एवं प्रशिक्षण शिविर	इंदौर	जून
8	आर सी टी सी (जूनियर एवं सीनियर बालक एवं बालिका)	ग्वालियर	नवम्बर (12 दिन अवधि के दो शिविर)

टीपः– इन शिविर के अलावा प्रत्येक समूह मुख्यालय स्तर पर इस वर्ष में औसतन 10 शिविर (एनुयल ट्रेनिंग कैम्प) जिनकी अवधि 12 दिन की होगी भी आयोजित किये जायेगें।

परिशिष्ट–चार (2)

अखिल भारतीय शिविर

क्रमांक	शिविर का नाम	स्थान	संभावित अवधि
1	थल सैनिक बालक एवं बालिका	दिल्ली	सितम्बर 2010 के द्वितीय पखवाड़ा
2	नौ सैनिक		अक्टूबर 2010 के द्वितीय पखवाड़ा
3	वायु सैनिक		अक्टूबर 2010 के द्वितीय पखवाड़ा
4	गणतंत्र दिवस (आर डी सी)		जनवरी 2011
5	पश्चिम क्षेत्र शूटिंग प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविर	बड़ौदा	जूलाई 2010 के प्रथम पखवाड़ा
6	मावलंकर शूटिंग चयन एवं प्रशिक्षण शिविर	चंडीगढ़	अक्टूबर 2010 के प्रथम पखवाड़ा
7	अखिल भारतीय मावलंकर शूटिंग प्रतियोगिता	आसनसोल / गुवाहटी	नवम्बर 2010 के प्रथम पखवाड
8	राष्ट्रीय एकता शिविर (छः शिविर)	नागालेंड,श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) काकीनाड़ा (आंध्रप्रदेश) जैसलमेर, प्रोर्टब्लेयर, लक्षदीप	क्रमशः मई, जुलाई, अक्टूबर, अक्टूबर 2010, मार्च, अप्रैल 2011 (12 दिवसीय शिविर)
9	यूथ एक्सचेन्ज प्रोग्राम	सिंगापुर, रूस, श्रीलंका, भूटान, तुर्कनिस्तान, वियतनाम, नेपाल, बंगलादेश, कजाकिस्तान	मई / जून, सितम्बर, अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवम्बर, फरवरी 2011, मार्च 2011, अप्रैल 2011

टीपः– यूथ एक्सचेन्ज प्रोग्राम की निश्चित अवधि मित्र देशों के उच्चायोग द्वारा अनुमोदन के पश्चात तय की जावेगी।